कार्यवृत्त

[संक्षिप्त कार्य-विवरण]

मंगलवार, 02 पौष, शक संवत् 1947

(23 दिसम्बर, 2025 ई0)

खण्ड-530

अंक-03

विधान सभा का कार्य सभा-मण्डप, लखनऊ में दिन के 11:00 बजे श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में आरम्भ हुआ।

प्रश्न पूछे गये एवं उनके उत्तर दिये गये।

आज की कार्य-सूची के तारांकित प्रश्न संख्या-07 के अनुपूरक उत्तर के क्रम में श्री अध्यक्ष ने निर्देश दिये कि सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक एवं अभद्र फोटो, गलत सूचना प्रसारित करने वालों के विरुद्ध एक पॉलिसी बनाकर सख्त कार्रवाई की जाए, जिससे ऐसे लोगों में एक सन्देश जाय।

इस पर संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि ऐसे कृत्य पर 05 लाख तक का जुर्माना एवं 07 साल तक की सजा का प्रावधान है।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के निम्नलिखित भूतपूर्व सदस्यों के निधन पर सदन की ओर से शोक संवेदना व्यक्त की गयी :-

श्री पूर्णमासी पंकज,

श्री श्याद अली,

श्री सैयद अली अशरफी,

श्री राम सिंह 'एडवोकेट',

श्री लक्ष्मी प्रसाद वर्मा।

श्री अध्यक्ष ने सदन की भावनाओं से अपने को सम्बद्ध करते हुये कहा कि सदन में व्यक्त की गयी संवेदनाओं को दिवंगत आत्माओं के शोक-संतप्त परिवारों तक पहुंचा दिया जायेगा।

दिवंगत आत्माओं की शान्ति के लिये सभी सदस्य दो मिनट मौन खड़े हुये।

आज की कार्य-सूची के तारांकित प्रश्न संख्या-08 के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न उठाते हुए श्री रविदास मेहरोत्रा ने कहा कि शासन का उत्तर गलत आया है, जबकि चीनी मांझा से लोगों की मौतें हो रही हैं।

इस पर श्री अध्यक्ष ने कहा कि यदि आपको लगता है कि सरकार गलत जवाब दे रही है, तो आप इसे प्रश्न एवं सन्दर्भ समिति को सन्दर्भित कर सकते हैं।

संसदीय कार्य मंत्री ने शासन का पक्ष रखते हुए कहा कि चीनी मांझा से नहीं बल्कि नायलॉन थ्रेड, सिन्थेटिक थ्रेड (कोटेड विद् ग्लास) से बने मांझे को भी चाइनीज मांझा पुकारा जाता है। उससे 07 लोग घायल हुए एवं 03 लोगों की मौत हुई। इस सम्बन्ध में पर्यावरण विभाग से 02 बार निषेध आज्ञा जारी की गयी है। यदि किसी दुकानदार द्वारा उक्त प्रतिबन्धित मांझा बेचा गया है, उस पर कार्रवाई भी हुई है।

तदुपरान्त नेता विरोधी दल ने बेसिक शिक्षा मंत्री द्वारा अनुपूरक उत्तर देते समय पुरानी सरकार पर पैसा लेकर ट्रांसफर किये जाने का गलत आरोप लगाये जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न उठाते हुए कहा कि यह परिपाटी गलत है। किसी के ऊपर आरोप लगाने से पूर्व अध्यक्ष पीठ के पास साक्ष्य उपस्थित किये जाने चाहिए।

इस पर संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि बेसिक शिक्षा मंत्री ने किसी भी सरकार का नाम नहीं लिया।

इस पर श्री अध्यक्ष ने व्यवस्था देते हुए सभी सदस्यों से कहा कि आरोप लगाने से पूर्व या उसे प्रमाणित कर दें अथवा अध्यक्ष पीठ के पास एफिडेविट भेज दें। यह व्यवस्था सभी 403 सदस्यों पर लागू होगी।

आज दिनांक 23 दिसम्बर, 2025 को नियम-301 के अन्तर्गत कुल 103 सूचनाएं प्राप्त हुईं। निम्नलिखित मा0 सदस्यों की सूचनाएं स्वीकार की गयीं:-

क्रम-सं0	नाम	विषय
1	श्री हृदय नारायण सिंह पटेल	शारदा सहायक खण्ड-32 में पानी न पहुंचने के सम्बन्ध में।
2	श्री राहुल राजपूत उर्फ राहुल लोधी	जनपद रायबरेली के अन्तर्गत स्थित कतिपय राजवाहों की मरम्मत कराए जाने के सम्बन्ध में।
3	श्री राकेश कुमार गोस्वामी	जनपद महोबा में नीलगाय जानवरों द्वारा फसलों को नुकसान पहुंचाये जाने के सम्बन्ध में।
4	श्रीमती केतकी सिंह	जनपद बलिया के बांसडीह रजिस्ट्री भवन के पुनः निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में।
5	श्रीमती ऊषा मौर्या उर्फ अनिला मौर्या	जनपद फतेहपुर में असनी गंगा पुल चालू कराये जाने के सम्बन्ध में।
6	डॉ0 सुरभी	जनपद फर्रुखाबाद के अन्तर्गत कायमगंज विधान सभा क्षेत्र में नगर पंचायत कंपिल में टेम्पू स्टैंड के नाम पर सभी वाहनों से अवैध वसूली के सम्बन्ध में।

क्रम-सं0	नाम	विषय
7	श्री बावन सिंह	जनपद गोण्डा के कटरा बाजार में शमशान की भूमि को कब्जामुक्त कराए जाने के सम्बन्ध में।
8	श्री सुरेन्द्र मैथानी	जनपद कानपुर के गोविन्द नगर में सेतु निगम के कतिपय अधिकारियों के खिलाफ जांच कराये जाने के सम्बन्ध में।
9	श्री बाबूलाल	जनपद आगरा के किरावली कस्बा में मिनी स्टेडियम में सभी सुविधाएं दिए जाने के सम्बन्ध में।
10	श्री प्रकाश द्विवेदी	जनपद बाँदा में कतिपय मार्ग को फोर लेन बनवाये जाने के सम्बन्ध में।
11	श्री बम्बा लाल	जनपद उन्नाव में लोक निर्माण विभाग द्वारा कम दरों में निविदा दरों में ठेकेदारों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही किये जाने तथा सम्बन्धित अधिकारियों के खिलाफ जांच कराये जाने के सम्बन्ध में।
12	श्री रमेश सिंह	जनपद जौनपुर के शाहगंज में सरकारी कोल्ड स्टोरेज के पुनर्निर्माण के सम्बन्ध में।
13	श्री बेदी	जनपद गाजीपुर के जखनिया में वन्दन योजना के अन्तर्गत चल रहे काम की टी0ए0सी0 जांच कराये जाने के सम्बन्ध में।
14	श्री कमाल अख्तर	प्रदेश के उच्च शिक्षा विभाग में सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में समूह 'ग' की भर्ती के नाम पर चल रहे भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में।
15	श्री अनिल प्रधान	जनपद चित्रकूट के भैसोंधा में राजकीय हाई स्कूल की स्थापना कराने के सम्बन्ध में।
16	श्री माता प्रसाद पाण्डेय	जनपद सिद्धार्थनगर में कतिपय मार्ग की मरम्मत के सम्बन्ध में।
17	श्रीमती मीनाक्षी सिंह	नगर पालिका क्षेत्र खुर्जा में शमशान घाटों में विकास कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में।
18	श्रीमती गीता शास्त्री (पासी)	जनपद प्रयागराज के सोरांव में राजकीय महिला डिग्री कॉलेज की स्थापना के सम्बन्ध में।

क्रम-सं0	नाम	विषय
19	श्री पंकज कुमार मलिक	जनपद मुजफ्फरनगर की चरथावल विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत राजकीय महिला डिग्री कालेज की स्थापना किये जाने के सम्बन्ध में।
20	श्री दुर्गा प्रसाद यादव	प्रदेश तथा जनपद आजमगढ़ में एण्टी रैबीज इंजेक्शन उपलब्ध न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।
21	श्री मौहम्मद फहीम इरफान	जनपद मुरादाबाद के नगर पालिका परिषद् बिलारी में पाइप लाइन कार्य में बरती जा रही अनियमितता के सम्बन्ध में।
22	श्री जय कुमार सिंह जैकी	जनपद फतेहपुर के विधान सभा क्षेत्र बिन्दकी में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत कार्यों में व्याप्त गम्भीर समस्या के सम्बन्ध में।
23	श्री अब्बास अंसारी	जनपद मऊ के पावरलूम बुनकरों का किलोवाट बढ़ाये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।
24	श्री गौरीशंकर वर्मा (कोरी)	जनपद जालौन के विकास खण्ड डकोर में कतिपय सड़क निर्माण के सम्बन्ध में।
25	श्री मोहन वर्मा	विधान सभा क्षेत्र हाटा जनपद कुशीनगर के नगर पंचायत सुकरौली में बस स्टेशन का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में।
26	श्री पूरन प्रकाश	जनपद मथुरा के बलदेव क्षेत्र में मिनी स्टेडियम बनवाये जाने के सम्बन्ध में।
27	श्री स्वामी ओउ्मवेश	जनपद बिजनौर में कतिपय स्थान के डामरीकरण के सम्बन्ध में।
28	डॉ0 पल्लवी पटेल	जनपद लखनऊ में राज्य सम्पत्ति विभाग के अधीन एम0आई0जी0 कॉलोनी में ओपेन जिम स्थापित कराये जाने के सम्बन्ध में।
29	ई0 सचिन यादव उर्फ जखई	प्रदेश भर में गलियों एवं बेसमेंटों में चल रहे प्राइवेट कोचिंग सेंटरों को नियमानुसार संचालित कराये जाने के सम्बन्ध में।

क्रम-सं0	नाम	विषय
30	श्री राम अचल राजभर	जनपद अम्बेडकरनगर के अकबरपुर में कतिपय सड़क मार्ग की मरम्मत के सम्बन्ध में।
31	श्री जवाहर लाल राजपूत	गुरसराय मुख्य नहर की क्षमता बढ़ाए जाने हेतु पारीक्षा बाँध से लिफ्ट करके टेहरौली के आस-पास पाइप लाइन से पानी डलवाए जाने के सम्बन्ध में।
32	श्री अभय सिंह	जनपद सिद्धार्थनगर में बिना प्रदूषण बोर्ड के अनापत्ति प्रमाण-पत्र के ईंट भट्ठों का संचालन किये जाने के सम्बन्ध में।
33	डॉ0 राजेश्वर सिंह	जनपद लखनऊ के सरोजनीनगर विधान सभा क्षेत्र में विकास कार्य सुनिश्चित किये जाने हेतु धनराशि स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।
34	श्री प्रदीप शुक्ला	जलकल विभाग, नगर निगम, लखनऊ द्वारा शासनादेश के उल्लंघन में मैनुअल टेण्डर आमन्त्रित किये जाने के सम्बन्ध में।

आज नियम-300 के अन्तर्गत औचित्य के प्रश्न की 06 सूचनाएँ प्राप्त हुईं, जिसे अग्राह्य करते हुए श्री अध्यक्ष ने सदन से निवेदन किया कि नियम और नियमावली पढ़ कर ही नियम-300 के अन्तर्गत सूचना दें।

श्री विनय कुमार वर्मा द्वारा जनपद सिद्धार्थनगर की विधान सभा क्षेत्र शोहरतगढ़ के गांधी आदर्श विद्यालय इण्टर कालेज में छात्रों व अभिभावकों से फीस के नाम पर हो रही अवैध वसूली से उत्पन्न स्थिति विषयक अपनी सूचना सुने जाने का अनुरोध करने पर श्री अध्यक्ष ने कहा कि अपना विषय लिखकर संसदीय कार्य मंत्री को दे दें।

तदुपरान्त श्री अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि आज नियम-110 के अन्तर्गत चौधरी चरण सिंह के सम्मान में एक सूचना प्राप्त हुई है।

इस पर श्री कमाल अख्तर ने नियम-110 के अन्तर्गत प्रस्तावित उक्त सूचना हेतु 01 घण्टे की चर्चा स्वीकृत किये जाने का पीठ से अनुरोध किया।

इस पर श्री अध्यक्ष ने कहा कि नियम-110 में विस्तृत चर्चा नहीं होती। उन्होंने प्रस्तुत प्रस्ताव पर 03-03 मिनट में अपने विचार रखने हेतु निर्देश दिये।

तदुपरान्त कृषि एवं कृषि अनुसंधान मंत्री (श्री सूर्य प्रताप शाही) ने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि-

''जमींदारी प्रथा, पटवारी प्रथा को समाप्त कर किसानों को अपने खेत का मालिकाना हक प्रदान करने वाले भारत के पूर्व प्रधानमंत्री एवं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्य मंत्री चौधरी चरण

सिंह जी की जन्म जयन्ती के अवसर पर उनकी स्मृतियों को नमन करते हुए देश के करोड़ों किसानों की ओर से मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ।

चौधरी साहब देश के महान सपूत थे। जिनका जन्म 23 दिसम्बर, 1902 को उत्तर प्रदेश के मेरठ मण्डल के हापुड़ जनपद के ग्राम-नूरपुर में हुआ था। उन्होंने उत्तर प्रदेश के कृषि एवं राजस्व मंत्री के रूप में और मुख्य मंत्री एवं प्रधानमन्त्री के रूप में देश के किसानों एवं गरीबों की अनुपम सेवा की है। दिनांक 03 अप्रैल, 1967 को भारतीय जनसंघ की मदद से संयुक्त विधायक दल के गठबन्धन की सरकार के मुख्य मंत्री के रूप में 1967 में चुने गये थे। चौधरी साहब ने किसानों को खेत का मालिक बनाने का क्रान्तिकारी निर्णय लिया था और पटवारियों के द्वारा कागजातों में हेरा-फेरी के कारण पटवारी व्यवस्था को समाप्त कर दिया था। व्यापारी और बिचौलियों से किसानों के शोषण को बन्द करने के लिए मण्डी बिल के लिये उन्हें युगों-युगों तक याद किया जाएगा। चौधरी साहब को राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना नाबार्ड में की गयी पहल के लिए सदियों तक याद किया जाएगा। भारत की आजादी में बढ़-चढ़ कर हिस्सा लेना, किसानों की समस्याओं को उजागर करते हुए उन्हें संगठित कर प्रेरित करना और किसान समस्या के समाधान के लिए 1940 में सत्याग्रह कर जेल जाना उनके संघर्ष और ऊर्जा की कहानी है। उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री और भारत के प्रधानमंत्री के रूप में सरल और सादगी और किसानों के लिए लगातार निरन्तर कदम उठाने वाले सामाजिक सुधारों के उनके प्रयासों के लिए देश सदैव कृतज्ञ रहेगा। उनकी विशिष्ट सेवाओं को देखते हुये मा0 श्री राजनाथ सिंह जी की सरकार ने वर्ष 2000 में चौधरी साहब के जन्मदिवस को किसान दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया था। आज उनके कृतत्व और योगदान को देखते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेन्द्र मोदी जी की सरकार ने किसानों के सपूत चौधरी चरण सिंह जी को भारत का सर्वोच्च सम्मान 'भारत रत्न' से वर्ष 2024 में सम्मानित कर अमर बना दिया है। उत्तर प्रदेश की श्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने उनकी स्मृतियों को चिरकाल तक स्मरणीय बनाये रखने के लिए आज दिनांक 23 दिसम्बर, 2025 को भारत रत्न चौधरी चरण सिंह सीड पार्क को लाँच किया है, जिससे प्रदेश के अन्नदाता किसानों को उत्कृष्ट बीज सुलभ हो सके और वे अन्नदाता किसान से बीज दाता किसान बनकर खुशहाल और सम्पन्न होने के चौधरी साहब के सपने को साकार कर सकें।

इस अवसर पर मैं पुनः उनके स्मृतियों, कृतियों का स्मरण करते हुए उत्तर प्रदेश के किसान भाइयों की ओर से एवं देश के समस्त किसानों की ओर से मैं उनको नमन करता हूँ और श्रद्धांजलि अर्पित करते हुये उनकी सेवाओं के लिए कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ।''

निम्नलिखित सदस्यों ने भी चर्चा में भाग लिया :-

श्री अतुल प्रधान,

श्री पंकज कुमार मलिक,

श्री प्रदीप कुमार सिंह उर्फ गुड्डू चौधरी,

श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना',

नेता विरोधी दल (श्री माता प्रसाद पाण्डेय) के भाषण के उपरान्त चर्चा समाप्त हुई।

इसी मध्य डॉ0 संग्राम यादव ने विधायक निधि से 1 करोड़ रुपया प्रतिवर्ष असाध्य बीमारियों में देने का प्राविधान किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न उठाते हुए कहा कि वर्तमान परिस्थितियों में जबकि बीमारियों का इलाज महंगा हो गया है तथा मा0 सदस्य की स्थानीय विकास निधि में बढ़ोत्तरी हुई है, ऐसी स्थिति में असाध्य रोगों के लिए निर्धारित सीमा रु0 25 लाख को बढ़ाकर 01 करोड़ करने की अनुमति प्रदान करने हेतु आवश्यक प्राविधान कराने हेतु पीठ से अनुरोध किया तथा इस हेतु जी0एस0टी0 से भी छूट दिलाने की मांग की।

इस पर श्री अध्यक्ष ने कहा कि मा0 सदस्य द्वारा वर्तमान गाइडलाइन के अनुसार रु0 25 लाख से बढ़ाकर 50 लाख या 01 करोड़ किये जाने की बात कही। यह एक सकारात्मक विचार है। श्री अध्यक्ष ने संसदीय कार्य मंत्री से इस विषय के ऊपर विचार करने को कहा।

संसदीय कार्य राज्य मंत्री ने गृह पुलिस अनुभाग-7 द्वारा उत्तर प्रदेश पुलिस आवास निगम लिमिटेड की छत्तीसवीं वार्षिक रिपोर्ट 2022-2023 को कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा-395 की उपधारा (1)(बी) के अधीन विलम्ब के कारण सहित सदन के पटल पर रखा।

संसदीय कार्य राज्य मंत्री ने गृह पुलिस अनुभाग-7 द्वारा उत्तर प्रदेश पुलिस आवास निगम लिमिटेड की सैंतीसवीं वार्षिक रिपोर्ट 2023-2024 को कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा-395 की उपधारा (1)(बी) के अधीन विलम्ब के कारण सहित सदन के पटल पर रखा।

संसदीय कार्य राज्य मंत्री ने आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-7 द्वारा उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कारपोरेशन लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन 2024-25 को कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा-394 की उपधारा (2) के अधीन विलम्ब के कारण सहित सदन के पटल पर रखा।

संसदीय कार्य राज्य मंत्री ने भू-तत्व एवं खनिकर्म अनुभाग-1 की अधिसूचना संख्या-2605/ 86-2025 (86-01099/250/2023), दिनांक 29 सितम्बर, 2025 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश जिला खनिज फाउन्डेशन न्यास (तृतीय संशोधन) नियमावली, 2025 को खान और खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 (अधिनियम संख्या-67 सन् 1957) की धारा-28 (ख) की उपधारा (3) के अधीन सदन के पटल पर रखा।

संसदीय कार्य राज्य मंत्री ने भू-तत्व एवं खनिकर्म अनुभाग की अधिसूचना संख्या-1/ 1162031-2025, दिनांक 03 दिसम्बर, 2025 को खान और खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 (अधिनियम संख्या-67 सन् 1957) की धारा-28 की उपधारा (3) के अधीन सदन के पटल पर रखा।

संसदीय कार्य राज्य मंत्री ने भू-तत्व एवं खनिकर्म अनुभाग की अधिसूचना संख्या-1/1133353-2025, दिनांक 05 नवम्बर, 2025 को खान और खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 (अधिनियम संख्या-67 सन् 1957) की धारा-28 की उपधारा (3) के अधीन सदन के पटल पर रखा।

श्रम एवं सेवायोजन मंत्री ने श्रम अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-1155/36-2-2024-10(जी)-2017, दिनांक 05 जुलाई, 2024 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्त विनियमन) (षष्ठम संशोधन) नियमावली, 2024 को भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996 की धारा-62 की उपधारा (4) के अधीन विलम्ब के कारण सहित सदन के पटल पर रखा।

नगर विकास मंत्री ने नगर विकास अनुभाग-9 द्वारा उत्तर प्रदेश नगर पालिका वित्तीय संसाधन विकास बोर्ड के क्रिया-कलापों की वार्षिक रिपोर्ट वर्ष 2024-25 को उत्तर प्रदेश नगर पालिका वित्तीय संसाधन विकास बोर्ड अधिनियम, 2011 की धारा-28 की उपधारा (2) के अधीन सदन के पटल पर रखा।

ऊर्जा मंत्री ने ऊर्जा अनुभाग-1 द्वारा यू0पी0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड की 43वीं वार्षिक रिपोर्ट एवं लेखा 2022-2023 को कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा-395 (1)(बी) के अधीन सदन के पटल पर रखा।

ऊर्जा मंत्री ने ऊर्जा अनुभाग-1 द्वारा दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड का इक्कीसवाँ वार्षिक प्रतिवेदन 2023-2024 को कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा-395(1)(बी) के अधीन विलम्ब के कारण सहित सदन के पटल पर रखा।

ऊर्जा एवं अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत मंत्री ने ऊर्जा अनुभाग-1 द्वारा पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, मेरठ की 20वीं वार्षिक रिपोर्ट 2022-23 को कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा-395(1)(बी) के अधीन विलम्ब के कारण सहित सदन के पटल पर रखा।

ऊर्जा मंत्री ने ऊर्जा अनुभाग-1 द्वारा पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, मेरठ की 21वीं वार्षिक रिपोर्ट 2023-24 को कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा-395(1)(बी) की अपेक्षानुसार विलम्ब के कारण सहित सदन के पटल पर रखा।

संसदीय राज्य मंत्री ने प्राविधिक शिक्षा अनुभाग-1 की अधिसूचना संख्या-312/सोलह-1-2024-03(3)-2014, दिनांक 06 फरवरी, 2025 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, गोरखपुर प्रथम परिनियमावली, 2025 को उत्तर प्रदेश मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2013 की धारा-48 की उपधारा (2) के अधीन विलम्ब के कारण सहित सदन के पटल पर रखा।

इसी मध्य 01 बजकर 14 मिनट पर अधिष्ठाता श्रीमती कृष्णा पासवान पीठासीन हुईं।

श्री मो0 ताहिर खान, सदस्य, नियम समिति ने उत्तर प्रदेश 18वीं विधान सभा की ''नियम समिति'' (2025-26) का प्रथम प्रतिवेदन, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 2023 के नियम-269-द(2) एवं नियम-269-छ(2) में संशोधन से सम्बन्धित है, को प्रस्तुत किया।

श्रीमती अनुपमा जायसवाल, मा0 सदस्य, याचिका समिति ने उत्तर प्रदेश 18वीं विधान सभा की ''याचिका समिति'' (2025-26) का प्रथम प्रतिवेदन, जो सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग से सम्बन्धित है, को प्रस्तुत किया।

श्रीमती अनुपमा जायसवाल, मा0 सदस्य, याचिका समिति ने उत्तर प्रदेश 18वीं विधान सभा की ''याचिका समिति'' (2025-26) का द्वितीय प्रतिवेदन, जो वन एवं पर्यावरण विभाग से सम्बन्धित है, को प्रस्तुत किया।

श्रीमती अनुपमा जायसवाल, मा0 सदस्य, याचिका समिति ने उत्तर प्रदेश 18वीं विधान सभा की ''याचिका समिति'' (2025-26) का तृतीय प्रतिवेदन, जो सतर्कता विभाग, सचिवालय प्रशासन विभाग, सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग, संस्कृति विभाग, उद्यान विभाग, वित्त विभाग, श्रम एवं सेवायोजन विभाग, कर एवं निबन्धन विभाग, स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग, सहकारिता विभाग, पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, महिला कल्याण विभाग से सम्बन्धित है, को प्रस्तुत किया।

श्रीमती अनुपमा जायसवाल, मा0 सदस्य, याचिका समिति ने उत्तर प्रदेश 18वीं विधान सभा की ''याचिका समिति'' (2025-26) का चतुर्थ प्रतिवेदन, जो बेसिक शिक्षा विभाग से सम्बन्धित है, को प्रस्तुत किया।

श्रीमती अनुपमा जायसवाल, मा0 सदस्य, याचिका समिति ने उत्तर प्रदेश 18वीं विधान सभा की ''याचिका समिति'' (2025-26) का पंचम प्रतिवेदन, जो खेल कूद एवं युवा कल्याण विभाग से सम्बन्धित है, प्रस्तुत किया।

श्रीमती अनुपमा जायसवाल, मा0 सदस्य, याचिका समिति ने उत्तर प्रदेश 18वीं विधान सभा की ''याचिका समिति'' (2025-26) का छठवां प्रतिवेदन, जो परिवहन विभाग से सम्बन्धित है, को प्रस्तुत किया।

सभापति, सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (2025-2026) का प्रथम प्रतिवेदन, जो भारत के नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट वर्ष (2004-2005) (वाणिज्यिक) में उल्लिखित उ0प्र0 अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड से सम्बन्धित प्रस्तरों पर आधारित है, को प्रस्तुत किया।

सभापति, सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (2025-2026) का द्वितीय प्रतिवेदन, जो भारत के नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट वर्ष (2003-2004) (वाणिज्यिक) में उल्लिखित उ0प्र0 राज्य चीनी निगम लिमिटेड से सम्बन्धित प्रस्तरों पर आधारित है, को प्रस्तुत किया।

सभापति, सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (2025-2026) का तृतीय प्रतिवेदन, जो भारत के नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट वर्ष (2017-2018) व (2015-2016) (वाणिज्यिक) में उल्लिखित उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड से सम्बन्धित प्रस्तरों पर आधारित है, को प्रस्तुत किया।

सभापति, सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (2025-2026) का चतुर्थ प्रतिवेदन, जो भारत के नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट वर्ष (2014-2015) (वाणिज्यिक) में उल्लिखित उ0प्र0 वन निगम लिमिटेड से सम्बन्धित प्रस्तरों पर आधारित है, को प्रस्तुत किया।

सभापति, सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (2025-2026) का पंचम प्रतिवेदन, जो भारत के नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट वर्ष (2007-2008) (वाणिज्यिक) में उल्लिखित उ0प्र0 लघु उद्योग निगम लिमिटेड से सम्बन्धित प्रस्तरों पर आधारित है, को प्रस्तुत किया।

सभापति ने उत्तर प्रदेश अट्ठारहवीं विधान सभा की ''प्रदेश के स्थानीय निकायों के लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों की जांच सम्बन्धी समिति (2025-26)'' का प्रथम प्रतिवेदन, जो स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग के प्रतिवेदन वर्ष (2004-2005), (2010-2011) में उल्लिखित समाज कल्याण विभाग के प्रान्तीय अनाथालय, महोबा तथा आदि हिन्दू प्रा0वि0 सुरतापुर, चन्दौली से सम्बन्धित ऑडिट आपत्तियों पर आधारित है, को प्रस्तुत किया।

सभापति ने उत्तर प्रदेश अट्ठारहवीं विधान सभा की ''प्रदेश के स्थानीय निकायों के लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों की जांच सम्बन्धी समिति (2025-26)'' का द्वितीय प्रतिवेदन, जो स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग के प्रतिवेदन वर्ष (2011-2012), (2015-2016) में उल्लिखित सांस्कृतिक कार्य विभाग के अयोध्या शोध संस्थान, अयोध्या, फैजाबाद तथा राज्य ललित कला अकादमी, उ0प्र0 से सम्बन्धित ऑडिट आपत्तियों पर आधारित है, को प्रस्तुत किया।

सभापति ने उत्तर प्रदेश अट्ठारहवीं विधान सभा की ''प्रदेश के स्थानीय निकायों के लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों की जांच सम्बन्धी समिति (2025-26)'' का तृतीय प्रतिवेदन, जो स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग के प्रतिवेदन वर्ष (2011-2012) में उल्लिखित चिकित्सा एवं स्वास्थ्य

विभाग के उत्तर प्रदेश फार्मेसी काउन्सिल, लखनऊ से सम्बन्धित ऑडिट आपत्तियों पर आधारित है, को प्रस्तुत किया।

सभापति ने उत्तर प्रदेश अट्ठारहवीं विधान सभा की ''प्रदेश के स्थानीय निकायों के लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों की जांच सम्बन्धी समिति (2025-26)'' का चतुर्थ प्रतिवेदन, जो स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग के प्रतिवेदन वर्ष (2018-2019) में उल्लिखित आयुष विभाग का उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक बोर्ड, लखनऊ से सम्बन्धित ऑडिट आपत्तियों पर आधारित है, को प्रस्तुत किया।

सभापति ने उत्तर प्रदेश अट्ठारहवीं विधान सभा की ''प्रदेश के स्थानीय निकायों के लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों की जांच सम्बन्धी समिति (2025-26)'' का पंचम् प्रतिवेदन, जो स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग के प्रतिवेदन वर्ष (2018-2019) में उल्लिखित नगर विकास विभाग के नगर पालिका परिषद्, बहेड़ी, बरेली तथा नगर पालिका परिषद्, बाह, आगरा से सम्बन्धित ऑडिट आपत्तियों पर आधारित है, को प्रस्तुत किया।

सभापति ने उत्तर प्रदेश अट्ठारहवीं विधान सभा की ''प्रदेश के स्थानीय निकायों के लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों की जांच सम्बन्धी समिति (2025-26)'' का षष्ठम् प्रतिवेदन, जो स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग के प्रतिवेदन वर्ष (2017-2018) में उल्लिखित कृषि विपणन विभाग का कृषि उत्पादन मण्डी समिति मवाना, मेरठ से सम्बन्धित ऑडिट आपत्तियों पर आधारित है, को प्रस्तुत किया।

तदुपरान्त श्री अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य-मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 22 दिसम्बर, 2025 की बैठक में निम्नलिखित सिफारिशें की हैं :-

1-दिनांक 23 दिसम्बर, 2025 को वित्तीय वर्ष 2025-2026 के अनुपूरक अनुदानों पर चर्चा करा ली जाये।

2-दिनांक 23 दिसम्बर, 2025 को निम्नलिखित विधेयकों पर विचार एवं पारण करा लिया जाये :-

1-उत्तर प्रदेश ग्रामीण आबादी अभिलेख विधेयक, 2025

2-उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग (संशोधन) विधेयक, 2025

3-उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2025

4-उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (चतुर्थ संशोधन) विधेयक, 2025

5-उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (पंचम संशोधन) विधेयक, 2025

6-उत्तर प्रदेश पेंशन की हकदारी तथा विधिमान्यकरण विधेयक, 2025

7-उत्तर प्रदेश नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2025

8-उत्तर प्रदेश गन्ना उपकर (निरसन) विधेयक, 2025

9-किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश (संशोधन) विधेयक, 2025

10-उत्तर प्रदेश सुगम्य व्यापार (प्रावधानों का संशोधन) विधेयक, 2025

11-उत्तर प्रदेश दुकान और वाणिज्य अधिष्ठान (संशोधन) विधेयक, 2025

12-उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2025

13-उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2025

शेष कार्यक्रम यथावत् रखा जाये।

संसदीय कार्य मन्त्री ने प्रस्ताव किया कि ''यह सदन कार्य-मन्त्रणा समिति की सिफारिशें, जिसकी सूचना आज श्री अध्यक्ष द्वारा सदन में दी गयी है, सहमत है''।

प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।

श्री मूल चन्द्र सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद जालौन के तहसील माधोगढ़ के अन्तर्गत औरेखी, अमखेडा, सरावन, मंड़ोरा, हदरूख मार्ग के किमी0-15 में स्थित सरावन आबादी भाग में सी0सी0 कार्य एवं किमी0-16, 17, 18 में चौड़ीकरण का कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मनीष नायक व अन्य निवासीगण जनपद जालौन की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री वीर विक्रम सिंह, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद शाहजहाँपुर के विकास खण्ड खुदागंज के अन्तर्गत ग्राम बहेड़ से ग्राम खटेली, जनपद बरेली बार्डर तक कच्चे मार्ग का डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री हरिभान सिंह व अन्य निवासीगण जनपद शाहजहाँपुर की याचिका व्यपगत हुई।

श्री रामरतन कुशवाहा, सदस्य, विधान सभा की जनपद ललितपुर की विधान सभा क्षेत्र ललितपुर क्षेत्रान्तर्गत पिपरिया वंशा से नहर होते हुये परौंदा ग्राम तक मण्डी परिषद् के मार्ग का पुनः निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सत्यपाल व अन्य निवासीगण जनपद ललितपुर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री सुरेश कुमार, सदस्य, विधान सभा की जनपद अमेठी के विकास खण्ड जगदीशपुर के अन्तर्गत ग्राम पंचायत दक्खिनगांव में ग्राम नवीपुर में तुलसीराम मौर्य के घर से दुलापुर सम्पर्क मार्ग तक इण्टरलॉकिंग बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री तुलसीराम मौर्य व अन्य निवासीगण जनपद अमेठी की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री आशु मलिक, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद सहारनपुर के विधान सभा क्षेत्र सहारनपुर देहात के अन्तर्गत वार्ड संख्या-10 में काजीपुरा गांव बलिया खेड़ी में अधूरा

पड़े नाले का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री नितिन गोयल व अन्य निवासीगण जनपद सहारनपुर की याचिका व्यपगत हुई।

श्री श्रीकान्त कटियार, सदस्य, विधान सभा की जनपद उन्नाव के ग्राम पंचायत नेवल में बाँगरमऊ हरदोई मेन रोड गौतमबुद्ध द्वार से पंचायत भवन तक नवीन डामर रोड का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री प्रवेश कुशवाहा प्रधान व अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री सुभाष त्रिपाठी, सदस्य, विधान सभा की जनपद बहराइच में नया जिला अस्पताल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री निशंक त्रिपाठी व अन्य निवासीगण जनपद बहराइच की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री जै किशन साहू, सदस्य, विधान सभा की जनपद गाजीपुर के विधान सभा क्षेत्र सदर के अन्तर्गत विकास खण्ड सदर के ग्राम सभा राजूपुर में मुन्ना यादव के घर से देव शरण के घर होते हुए प्राथमिक विद्यालय तक आर0सी0सी0 निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मुरारी यादव व अन्य निवासीगण जनपद गाजीपुर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

ई0 सचिन यादव उर्फ जखई, सदस्य, विधान सभा की जनपद फिरोजाबाद के विधान सभा क्षेत्र जसराना के विकास खण्ड एका के ग्राम खेरिया सम्पर्क मार्ग का नव निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री छोटे खाँ व अन्य निवासीगण जनपद जसराना की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री रामखिलाड़ी सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद सम्भल के विधान सभा क्षेत्र गुन्नौर के ग्राम सुन्दरपुर से डुप्टा खुर्द मार्ग तक का नव निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री भानू यादव व अन्य निवासीगण जनपद सम्भल की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्रीमती विजमा यादव, सदस्य, विधान सभा की जनपद प्रयागराज के विधान सभा क्षेत्र प्रतापपुर के नासिर पट्टी में पक्की सड़क शेष रास्ता इन्दर के खेत इण्टरलॉकिंग से इन्दर के घर तक सी0सी0 व इण्टरलॉकिंग रोड का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अखिलेन्द्र सिंह व अन्य निवासीगण जनपद प्रयागराज की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री अखिलेश, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद आजमगढ़ में सलारपुर की बसौंधा सम्पर्क मार्ग का लेपन कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सूबूदार यादव, निवासी जनपद आजमगढ़ की याचिका व्यपगत हुई।

श्री लकी यादव, सदस्य, विधान सभा की जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र मल्हनी के विकास खण्ड सिकरारा के अन्तर्गत ग्राम वीरपालपुर में पक्की सड़क से पाल बस्ती तक के मार्ग का नव निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रमेश यादव व अन्य निवासीगण जनपद जौनपुर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

डॉ0 वीरेन्द्र यादव, सदस्य, विधान सभा की जनपद गाजीपुर के विधान सभा क्षेत्र जंगीपुर के ग्राम सभा ताजपुर के सामने बेसो नदी पर पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मनोज कुमार व अन्य निवासीगण जनपद गाजीपुर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री नन्दकिशोर, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद गाजियाबाद, लोनी क्षेत्र के अन्तर्गत चिरौड़ी-मेवला भट्‌टी मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री महेश प्रधान व अन्य निवासीगण जनपद गाजियाबाद की याचिका व्यपगत हुई।

श्री रमेश चन्द्र मिश्र, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद जौनपुर के विकास खण्ड महाराजगंज के महाराजगंज बाजार को नगर पंचायत बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री लवकुश सिंह व अन्य निवासीगण जनपद जौनपुर की याचिका व्यपगत हुई।

श्री मौहम्मद फहीम इरफान, सदस्य, विधान सभा की जनपद मुरादाबाद के ब्लाक व तहसील बिलारी की ग्राम पंचायत मुहम्मद इब्राहिमपुर में मुख्य मंत्री आवास प्लस योजना के समस्त पात्र आवेदकों को प्रधानमंत्री आवास योजना से लाभान्वित किये जाने के सम्बन्ध में श्री अफरोज खान व अन्य निवासीगण जनपद मुरादाबाद की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री राकेश प्रताप सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद कन्नौज की तहसील तिर्वा, पोस्ट-ठठिया के अन्तर्गत ग्राम खरगापुर में बालकानन्द महराज शिव मन्दिर के मार्ग हेतु अवैध कब्जा हटवाये जाने के सम्बन्ध में श्री राजेश व अन्य निवासीगण जनपद कन्नौज की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री बम्बा लाल, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद उन्नाव के विधान सभा क्षेत्र सफीपुर के अन्तर्गत ग्राम कोरारी कला मियांगंज व कतिपय ग्रामों में जर्जर पड़े सहकारिता भवनों का पुनर्निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अरूण प्रताप सिंह व अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव की याचिका व्यपगत हुई।

श्री शहजिल इस्लाम अंसारी, सदस्य, विधान सभा की जनपद बरेली की तहसील बरेली सदर के अन्तर्गत विकास खण्ड भोजीपुरा के ग्राम अलीनगर मार्ग का डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अफसर खां व अन्य निवासीगण जनपद बरेली की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री वाचस्पति, सदस्य, विधान सभा की जनपद प्रयागराज के बारा विधान सभा क्षेत्र में जसरा ब्लाक के अन्तर्गत ग्राम बसहरा व कतिपय ग्रामों में विद्युत उपकेन्द्र का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री दिनेश मिश्रा व अन्य निवासीगण जनपद प्रयागराज की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री रविदास मेहरोत्रा, सदस्य, विधान सभा की जनपद लखनऊ की विधान सभा क्षेत्र लखनऊ मध्य के अन्तर्गत नगर क्षेत्र के मौलवीगंज, रकाबगंज होते हुए नख्खास तक सड़क मार्ग व नाली निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री जैद अहमद फारूकी व अन्य निवासीगण जनपद लखनऊ की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्रीमती सरोज सोनकर, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद बहराइच की तहसील मिहींपुरवा मोतीपुर के अन्तर्गत ग्राम मोतीपुर में एक रोडवेज बस स्टैण्ड का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री पंकज गिरी व अन्य निवासीगण जनपद बहराइच की याचिका व्यपगत हुई।

डॉ0 अमित सिंह चौहान, सदस्य, विधान सभा की जनपद अयोध्या की बीकापुर तहसील के विकास खण्ड बीकापुर के ग्राम पंचायत लुत्फाबाद बछौली की ग्राम सूरासराय में दीपू भारती के घर के सामने से राम भवन पाण्डेय के घर तक इण्टरलॉकिंग का कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मोनू पाण्डेय व अन्य निवासीगण जनपद अयोध्या की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री अमिताभ बाजपेई, सदस्य, विधान सभा की जनपद कानपुर नगर के जिला अस्पताल (डफरिन) में आई0सी0यू0 एवं तीमारदारों के रुकने के लिये रैन बसेरा का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री हरिओम पाण्डेय व अन्य निवासीगण जनपद कानपुर नगर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री राहुल राजपूत उर्फ राहुल लोधी, सदस्य, विधान सभा की जनपद रायबरेली के विधान सभा क्षेत्र हरिचन्दपुर के अन्तर्गत रायबरेली रोड सम्पर्क मार्ग पर पासी का ताल लगभग 01 किमी0 कच्चे मार्ग का डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सूरज व अन्य निवासीगण जनपद रायबरेली की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री त्रिभुवन दत्त, सदस्य, विधान सभा की जनपद अम्बेडकरनगर के विधान सभा क्षेत्र आलापुर के विकास खण्ड रामनगर के ग्राम रामनगर महुवर में राम मिलन यादव प्रभारी के घर से राम लखन यादव के खेत तक मार्ग का सी0सी0 निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री इन्द्र प्रकाश व अन्य निवासीगण जनपद अम्बेडकरनगर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

डॉ0 रागिनी, सदस्य, विधान सभा की जनपद जौनपुर के मछलीशहर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम सभा पहाड़पुर में प्राथमिक पाठशाला से पंचायत भवन तक (मण्डी परिषद्) मार्ग का मरम्मत कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री परमेन्द्र पाल व अन्य निवासीगण जनपद जौनपुर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री दुर्गा प्रसाद यादव, सदस्य, विधान सभा की जनपद आजमगढ़ के अन्तर्गत विकास खण्ड तहबरपुर के ग्राम एकमा से सर्विस लेन तक क्षतिग्रस्त सड़क मार्ग (1.00 किमी0) का मरम्मत कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री श्याम नारायण यादव व अन्य निवासीगण जनपद आजमगढ़ की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री किरत सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद सहारनपुर के ग्राम जानखेड़ा, ब्लाक गंगोह में आबादी क्षेत्र स्थित राजवाहे चौराहे बरसाती पानी को रोकने के लिये किनारे पक्की दीवार का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में जनपद सहारनपुर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री बृजेश कुमार, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद उन्नाव में लखनऊ से बिल्हौर मार्ग वाया बांगरमऊ होते हुए नेवलगंज में नवीन पुल का निर्माण व ब्लाक औरास में उन्नाव-सण्डीला मार्ग उन्नाव में सई नदी स्थित जर्जर पुल का पुनः निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अरूण दीक्षित व अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव की याचिका व्यपगत हुई।

श्री अरमान खान, सदस्य, विधान सभा की जनपद लखनऊ पश्चिम विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत कन्हैया माधोपुर द्वितीय के अहिरन खेड़ा मोड़ से लेकर आनन्दी लॉन होते हुए रिंग रोड तक सी0सी0 सड़क मार्ग व नाली निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मो0 उस्मान व अन्य निवासीगण जनपद लखनऊ की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री विशम्भर सिंह यादव, सदस्य, विधान सभा की जनपद लखनऊ के उत्तर प्रदेश बीज प्रमाणीकरण संस्था में कार्यरत कार्मिकों को पदोन्नति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में श्री अश्वनी कुमार अवस्थी व अन्य निवासीगण जनपद लखनऊ की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्रीमती रेखा वर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद औरैया के विधान सभा क्षेत्र-202, बिधूना के अन्तर्गत ग्राम नन्दपुर, कुंवरपुर सम्पर्क मार्गों का विशेष मरम्मत कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री शिववीर सिंह यादव व अन्य निवासीगण जनपद औरैया की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री अतुल प्रधान, सदस्य, विधान सभा की जनपद मेरठ के विधान सभा क्षेत्र-44, सरधना के अन्तर्गत ग्राम रसूलपुर काटे मार्ग से निहोरी-चरला-फलावदा मार्ग का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अदनान व अन्य निवासीगण जनपद मेरठ की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री अनिल प्रधान, सदस्य, विधान सभा की जनपद चित्रकूट के विधान सभा क्षेत्र सदर के विकास खण्ड पहाड़ी में ग्राम पंचायत महुवागांव में लक्ष्मण सिंह के घर से दुर्गा निषाद के घर तक पक्की सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्रीमती रानी देवी व अन्य निवासीगण जनपद चित्रकूट की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री मो0 ताहिर खान, सदस्य, विधान सभा की जनपद सुल्तानपुर के विधान सभा क्षेत्र-187, इसोली के अन्तर्गत ब्लाक अमहट से टिकरिया रोड पर जौनपुर ब्रांच पर अन्धे मोड़ पर सीधा पुल का नव निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में डॉ0 इरशाद व अन्य निवासीगण जनपद सुल्तानपुर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री विनोद चतुर्वेदी, सदस्य, विधान सभा की जनपद जालौन के विधान सभा क्षेत्र कालपी के अन्तर्गत विकास खण्ड कदौरा में ग्राम बरही बम्बा से शमसी बसरेही होते हुए शहीद नगर तक सड़क का नव निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सोनू राजपूत व अन्य निवासीगण जनपद जालौन की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री राजेन्द्र सिंह पटेल, सदस्य, विधान सभा की जनपद फतेहपुर के विकास खण्ड खजुहा के अन्तर्गत ग्राम बिन्दौर में पीपे का पुल बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री राजकुमार व अन्य निवासीगण जनपद फतेहपुर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री पंकज पटेल, सदस्य, विधान सभा की जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र मुंगराबादशाहपुर, विकास खण्ड मछलीशहर में ग्राम सभा छदान नहर से पटेल बस्ती होते हुए पक्की सड़क तक दूरी लगभग 400 मी0 सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री ओम प्रकाश पटेल व अन्य निवासीगण जनपद जौनपुर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्रीमती सरोज कुरील, सदस्य, विधान सभा की जनपद कानपुर नगर के विधान सभा क्षेत्र घाटमपुर के अन्तर्गत ग्राम काटर में श्मशान घाट का सौन्दर्यीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मनीष तिवारी व अन्य निवासीगण जनपद कानपुर नगर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री जगदीश नारायण, सदस्य, विधान सभा की जनपद जौनपुर की तहसील सदर के अन्तर्गत ग्राम राजेपुर त्रिमुहानी में गोमती नदी के किनारे स्थित अति प्राचीन मार्कण्डेय महादेव मन्दिर के पास गोमती नदी के किनारे पर बन्धा बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री विकास व अन्य निवासीगण जनपद जौनपुर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

डा0 मनोज कुमार प्रजापति, सदस्य, विधान सभा की जनपद हमीरपुर के विकास खण्ड मौदहा के ग्राम नायक पुरवा को नमामि गंगे योजना से आच्छादित करते हुये पानी की टंकी बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री मातादीन व अन्य निवासीगण जनपद हमीरपुर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री ब्रजभूषण राजपूत, सदस्य, विधान सभा की जनपद महोबा के विकास खण्ड पनवाड़ी के ग्राम दुलारा में क्षतिग्रस्त पुल का नव निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री हरिओम राजपूत व अन्य निवासीगण जनपद महोबा की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री सर्वेश सिंह, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद फिरोजाबाद के विधान सभा क्षेत्र सिरसागंज के अन्तर्गत ब्लॉक मदनपुर के ग्राम फतेहपुर नसीरपुर में पंचायत घर से श्मशान घाट तक मुख्य मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री नीतेश कुमार व अन्य निवासीगण जनपद फिरोजाबाद की याचिका व्यपगत हुई।

श्री पल्टूराम, सदस्य, विधान सभा की जनपद बलरामपुर के विधान सभा क्षेत्र बलरामपुर सदर के अन्तर्गत उतरौला-गोण्डा मार्ग से धर्मपुर, गैस गोदाम अग्निशमन विभाग होते हुए कलवारी बाईपास तक सड़क चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मेहेश व अन्य निवासीगण जनपद बलरामपुर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री रमेश जायसवाल, सदस्य, विधान सभा की जनपद चन्दौली में विकास खण्ड सदर के ग्राम सभा शाहपुर में मेन रोड के पुल से लेकर पासवान बस्ती तक इण्टरलॉकिंग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री आजाद पासवान व अन्य निवासीगण जनपद चन्दौली की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री महेश त्रिवेदी, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद कानपुर नगर के विधान सभा क्षेत्र किदवई नगर के अन्तर्गत चावला मार्केट से सी0टी0आई0 चौराहे तक मार्केट के दोनों तरफ डिवाइडर के साथ सड़क के दोनों तरफ हजरतगंज (लखनऊ) की तर्ज पर पोल लाइटों को लगवाकर सुन्दरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सुनील कुमार व अन्य निवासीगण जनपद कानपुर नगर की याचिका व्यपगत हुई।

श्री महेन्द्र सिंह खड़गवंशी, सदस्य, विधान सभा की जनपद अमरोहा के विकास खण्ड गजरौला में ट्रामा सेण्टर का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री हरिओम सिंह व अन्य निवासीगण जनपद अमरोहा की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री प्रभात कुमार वर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद गोण्डा की तहसील मनकापुर के अन्तर्गत स्टेडियम को राज्य योजना/अन्य योजना में सम्मिलित करते हुये वित्तीय स्वीकृति प्रदान कराये जाने के सम्बन्ध में श्री चन्द्रभान वर्मा व अन्य निवासीगण जनपद गोण्डा की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री मनीष रावत, सदस्य, विधान सभा की जनपद लखनऊ के किसान पथ से चन्द्रिका देवी मन्दिर, ब्रहम हत्या गौ-हत्या मुक्ति धाम हेतु हत्या-हरण धाम होते हुए नैमिष तक फोर लेन सड़क निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री आदित्य प्रकाश व अन्य निवासीगण जनपद लखनऊ की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री अनुराग सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद मीरजापुर के विकास खण्ड-सीखड़ स्थित ग्राम मगरहां-सीखड़ हांसीपुर मार्ग ल0 08 किमी0 के चैनेज 0.000 से 8.000 तक के भाग का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य कराये जाने से सम्बन्धित आगणन लागत रुपया 2685.76 लाख की चालू वित्तीय वर्ष में प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सुरजीत सिंह व अन्य निवासीगण जनपद मीरजापुर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री गौरव कुमार, सदस्य, विधान सभा की जनपद बाराबंकी के विधान सभा क्षेत्र जैदपुर के ब्लाक मसौली में बाराबंकी-बहराइच एन0एच0 मार्ग से कोटवा-भयारा-हेतमपुर होते

हुये सदरुद्दीनपुर सम्पर्क मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री यासिर अराफात किदवई व अन्य निवासीगण जनपद बाराबंकी की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्रीमती पूजा, सदस्य, विधान सभा की जनपद आजमगढ़ के अन्तर्गत खरिहानी-बेलनाडीह मुख्य मार्ग का मरम्मत कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री हंसराज यादव व अन्य निवासीगण जनपद आजमगढ़ की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री दुधराम, सदस्य, विधान सभा की जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र महादेवा विकास खण्ड बनकटी में चित्राखोर से पक्कवा बाजार तक सड़क का निर्माण एवं सड़क के दोनों ओर नाली का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सूरज चौधरी व अन्य निवासीगण जनपद बस्ती की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

डा0 पल्लवी पटेल, सदस्य, विधान सभा की जनपद कौशाम्बी के विकास खण्ड कड़ा में ग्राम पंचायत घुमाई में भट्ठा चौराहे से राजाराम के ट्यूबवेल तक पक्की सड़क दूरी लगभग 750 मी0 तक बनवाये जाने के सम्बन्ध में श्री पूजा सरोज व अन्य निवासीगण जनपद कौशाम्बी की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

मेजर सुनील दत्त द्विवेदी, सदस्य, विधान सभा की जनपद फर्रुखाबाद के अन्तर्गत विकास खण्ड कमालगंज में स्थित ग्राम सभा भोजपुर से कमालगंज सम्पर्क मार्ग पर शेखघाट पुलिया का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री भुवनचन्द्र बरतरिया व अन्य निवासीगण जनपद फर्रुखाबाद की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री अजय सिंह, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद गोण्डा के विकास खण्ड करनैलगंज के अन्दूपुर में 33/11 के0वी0 पावर हाउस की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सर्वेश मिश्रा व अन्य निवासीगण जनपद गोण्डा की याचिका व्यपगत हुई।

श्री पंकज कुमार मलिक, सदस्य, विधान सभा की जनपद मुजफ्फरनगर के विधान सभा क्षेत्र चरथावल के अन्तर्गत ग्राम अटाली से चारौली प्राचीन मंदिर तक के मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री पारूल चौधरी व अन्य निवासीगण जनपद मुजफ्फरनगर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री देवेन्द्र सिंह लोधी, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद बुलन्दशहर की विधान सभा क्षेत्र स्याना के ग्राम नरेन्द्रपुर सम्पर्क मार्ग से बलरामपुर-कपसाई सम्पर्क मार्ग तक 1.5 किमी0 नव निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री चन्द्रपाल प्रधान व अन्य निवासीगण जनपद बुलन्दशहर की याचिका व्यपगत हुई।

श्री मुकेश चौधरी, सदस्य, विधान सभा की जनपद सहारनपुर के विधान सभा क्षेत्र-2 नकुड़ क्षेत्रान्तर्गत ग्राम हुसैनपुर में तालाब की दीवार का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री हुकुम सिंह व अन्य निवासीगण जनपद सहारनपुर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री बेदी, सदस्य, विधान सभा की जनपद गाजीपुर के विकास खण्ड जखनियां के गुरैनी नहर से नेवादा दुर्ग विजय राय तक मार्ग का नव निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सागर राजभर व अन्य निवासीगण जनपद गाजीपुर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री राम चन्द्र यादव, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद अयोध्या के नगर पालिका रुदौली-इकोना मार्ग से कृष्णानगर कालोनी में नवनीत रस्तोगी के मकान तक की सड़क व नाली का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री नवनीत कुमार रस्तोगी व अन्य निवासीगण जनपद अयोध्या की याचिका व्यपगत हुई।

श्री कविन्द्र चौधरी, सदस्य, विधान सभा की जनपद बस्ती की तहसील हर्रैया के अन्तर्गत कैनपुर-सिकटा मार्ग से करवनिया गांव रविचन्द्र विश्वकर्मा के घर तक 0 से लेपन तक का कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अरविन्द यादव व अन्य निवासीगण जनपद बस्ती की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्रीमती सैय्यदा खातून, सदस्य, विधान सभा की जनपद सिद्धार्थनगर के विकास खण्ड भनवापुर के अन्तर्गत आने वाली पी0डब्लू0डी0 सड़क शहपुर से सिंगारजोत को जाने वाली लगभग 30 किमी0 को लोक निर्माण विभाग द्वारा सीमांकन कराये जाने के सम्बन्ध में श्री हर्ष चौरसिया व अन्य निवासीगण जनपद सिद्धार्थनगर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री पीयूष रंजन निषाद, सदस्य, विधान सभा की जनपद प्रयागराज के विधान सभा क्षेत्र करछना के अन्तर्गत ग्राम सभा कबरा निषाद बस्ती में पेयजल योजना में स्थापित पानी की टंकी से हर घर जल की सप्लाई सुचारु रूप से कराये जाने के सम्बन्ध में श्री त्रिवेणी प्रसाद पाण्डेय, निवासी जनपद प्रयागराज की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री राजमणि, सदस्य, विधान सभा की जनपद प्रयागराज के विधान सभा क्षेत्र कोरांव के ग्राम पंचायत सिपौना में मोहड़ नाले पर पुलिया का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रामजीत, निवासी जनपद प्रयागराज की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्रीमती सलोना कुशवाहा, सदस्य, विधान सभा की जनपद शाहजहाँपुर के विकास खण्ड तिलहर के ग्राम हाजीपुर से मलुकापुर-खड़करी सम्पर्क मार्ग तक के कच्चे मार्ग का डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री विनोद व अन्य निवासीगण जनपद शाहजहाँपुर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

डा0 सुनील पटेल, सदस्य, विधान सभा की जनपद वाराणसी के विधान सभा क्षेत्र रोहनियां के अन्तर्गत जल निकासी एवं सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में डा0 प्रेम पटेल व अन्य निवासीगण जनपद वाराणसी की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री विवेक कुमार वर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद पीलीभीत के बीसलपुर में महिला सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में श्री विपिन गुप्ता व अन्य निवासीगण जनपद पीलीभीत की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री राजेन्द्र कुमार, सदस्य, विधान सभा की जनपद मऊ के विधान सभा क्षेत्र मोहम्मदाबाद गोहना के अन्तर्गत ग्राम धर्मसीपुर के सोनपात में नाले पर पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राम दुलारे राम व अन्य निवासीगण जनपद मऊ की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री देवेन्द्र कुमार निम, सदस्य, विधान सभा की जनपद सहारनपुर में साधारणसिर से ताजपुर रोड तक नव निर्माण का कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री योगेन्द्र राणा पुत्र श्री ओमवीर व अन्य निवासीगण जनपद सहारनपुर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्रीमती अनुपमा जायसवाल, सदस्य, विधान सभा की जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र बहराइच में विकास खण्ड चित्तौरा के अन्तर्गत बंजारी मोड़ से होते हुए हुजूरपुर तक डामर रोड का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सतीश सिंह, निवासी बहराइच की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्रीमती ओममणी वर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद बांदा की तहसील नरैनी के अन्तर्गत फतेहगंज पुलिस स्टेशन बघोलनपुरवा होते हुये कुल्हुआ जंगल तक सम्पर्क मार्ग को लोक निर्माण विभाग में हस्तान्तरित कर निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री कुलदीप त्रिपाठी व अन्य निवासीगण जनपद बांदा की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री हरिओम, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद कासगंज की तहसील सहावर के अन्तर्गत तारापुर से अल्लादीनपुर तक मार्ग का पुनर्निर्माण व डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री जसवंत व अन्य निवासीगण जनपद कासगंज की याचिका व्यपगत हुई।

श्री भगवान सिंह कुशवाहा, सदस्य, विधान सभा की जनपद आगरा की तहसील खेरागढ़ में स्थायी टी0टी0एस0पी0 टंकी (212 नग) की मरम्मत कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सोबरन सिंह कुशवाहा व अन्य निवासीगण जनपद आगरा की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्रीमती पूनम संखवार, सदस्य, विधान सभा की जनपद कानपुर देहात के विकास खण्ड झींझक के अन्तर्गत गढिया घुटरी से बददपुरवा तक (1.5 किमी0) सम्पर्क मार्ग का चौड़ीकरण के

सम्बन्ध में श्री संतोष प्रताप सिंह व अन्य निवासीगण जनपद कानपुर देहात की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री राज प्रसाद उपाध्याय, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद लखनऊ से बलिया जाने वाले राजकीय राजमार्ग संख्या-34 को फोर लेन व चौड़ीकरण करवाये जाने के सम्बन्ध में श्री अनिल कुमार व अन्य निवासीगण जनपद सुल्तानपुर की याचिका व्यपगत हुई।

श्री लक्ष्मी राज सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद बुलन्दशहर में सिकन्दराबाद औद्योगिक क्षेत्र में 03 नये अग्निशमन केन्द्र की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में श्री विकास कुमार व अन्य निवासीगण जनपद बुलन्दशहर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री गौरी शंकर वर्मा (कोरी), सदस्य, विधान सभा की जनपद जालौन के विधान सभा क्षेत्र उरई के अन्तर्गत जालौन नगर में जालौन-औरैया हाई-वे से बालाजी मंदिर बाईपास के बीचोबीच रकबा नं0-628/1 के सामने सरकारी भूमि पर स्थित अवैध मजार हटवाये जाने के सम्बन्ध में श्री धीरेश सक्सेना व अन्य निवासीगण जनपद जालौन की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री ज्ञान तिवारी, सदस्य, विधान सभा की जनपद सीतापुर के विधान सभा क्षेत्र सेउता के अन्तर्गत रेउसा को तहसील बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री रमेश अवस्थी व अन्य निवासीगण जनपद सीतापुर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

डा0 आर0 के0 पटेल, सदस्य, विधान सभा की जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र-370, मड़ियाहूँ में विकास खण्ड रामपुर के अन्तर्गत धनेथु लाल बहादुर गौड़ के दुकान से प्रा0 वि0 धनेथु होते हुये स्व0 रामपाल गिरी के दुकान तक नव निर्माण व पिच रोड का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री शैलेन्द्र दुबे व अन्य निवासीगण जनपद जौनपुर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री राम फेरन पाण्डेय, सदस्य, विधान सभा की जनपद श्रावस्ती के विकास खण्ड इकौना के ग्राम सिसवारा में विद्युत उपकेन्द्र स्थापित कराये जाने के सम्बन्ध में श्री विवेक सिंह व अन्य निवासीगण जनपद श्रावस्ती की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

डॉ0 आर0 के0 वर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद लखनऊ के विधान सभा क्षेत्र कैन्ट में केसरी खेड़ा वार्ड के महाराजापुरम कालोनी में जल निकासी का प्रबन्ध कराये जाने के सम्बन्ध में श्री जितेन्द्र सिंह व अन्य निवासीगण जनपद लखनऊ की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री महेन्द्र नाथ यादव, सदस्य, विधान सभा की जनपद बस्ती के ब्लाक सदर के ग्राम गिदही खुर्द में कन्नौजिया के मकान से आदर्श के मकान तक खड़न्जा का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री असद मसूद व अन्य निवासीगण जनपद बस्ती की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री मोहित सोनकर 'राहुल बच्चा', सदस्य, विधान सभा की जनपद कानपुर नगर के ग्राम सुभानपुर बिल्हौर में अवैध भूमि पर निर्मित श्री जी पेट्रोल पम्प की भूमि की जांच करवाये जाने के सम्बन्ध में श्री राम सेवक व अन्य निवासीगण जनपद कानपुर नगर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री स्वामी ओउ्मवेश, सदस्य, विधान सभा की जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र चाँदपुर के विकास खण्ड जलीलपुर के ग्राम पिलाना से हाशमपुर को जोड़ने वाले सम्पर्क मार्ग का नव निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री ब्रह्मपाल सिंह व अन्य निवासीगण जनपद बिजनौर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री श्याम सुन्दर, सदस्य, विधान सभा की जनपद रायबरेली के विधान सभा क्षेत्र बछरॉवां में शिवगढ़ ड्रेन, मूगताल ड्रेन व कतिपय ड्रेन की सफाई कराये जाने के सम्बन्ध में श्री आदर्श भारती, निवासी जनपद रायबरेली की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री मनोज कुमार पारस, सदस्य, विधान सभा की जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र नगीना के अन्तर्गत कस्बा किरतपुर को शादीपुर के 132 के0वी0ए0 बिजली घर से हटाकर स्वाहेडी 132 के0वी0ए0 बिजली घर से जोड़ने के सम्बन्ध में श्री मौ0 रफीक व अन्य निवासीगण जनपद बिजनौर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री सुरेन्द्र मैथानी, सदस्य, विधान सभा की जनपद कानपुर के विधान सभा क्षेत्र गोविन्द नगर के अन्तर्गत दो आर0ओ0बी0 के एक्सपेंशन ज्वाइंट्स में भ्रष्टाचार की शिकायत की जाँच उपरान्त दोष सिद्ध होने के बावजूद सम्बन्धित इंजीनियरों एवं सेतु निगम के अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्रवाई न होने के कारण जनता के बढ़ते आक्रोश के सन्दर्भ में श्री पवन सविता व अन्य निवासीगण जनपद कानपुर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्रीमती गुड़िया देवी, सदस्य, विधान सभा की जनपद औरैया के अन्तर्गत नवीन सब्जी मण्डी औरैया के मुख्य द्वार के सामने राष्ट्रीय राजमार्ग पर एलीवेटेड रोड का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रामजी वाजपेयी व अन्य निवासीगण जनपद औरैया की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री विनोद शंकर अवस्थी, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद लखीमपुर के अन्तर्गत ब्लाक रमियाबेहड़ के ग्राम नयापुरवा, मजरा कफारा, तहसील धौरहरा, ब्लाक रमियाबेहड़ के अन्तर्गत आवागमन हेतु डामरीकरण का कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री दिनेश कुमार व अन्य निवासीगण जनपद खीरी की याचिका व्यपगत हुई।

श्री बाबूलाल, सदस्य, विधान सभा की जनपद आगरा के ब्लाक अछनेरा में सिकन्दरा राजवाह पर पनवारी नहर पुलिया से केशव फार्म हाउस शास्त्रीपुरम तक सड़क मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री महाराज सिंह व अन्य निवासीगण जनपद आगरा की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री जवाहर लाल राजपूत, सदस्य, विधान सभा की जनपद झांसी, गुरसराय मुख्य नहर की क्षमता बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में श्री अरुण नायक व अन्य निवासीगण जनपद झांसी की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री राजेन्द्र कुमार मौर्य, सदस्य, विधान सभा की जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र-248, प्रतापगढ़ में चमरौंधा नदी पर भनईपुर पूरब पट्टी बड़का महादेवन घाट के पास पीपा पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अरविन्द कुमार व अन्य निवासीगण जनपद प्रतापगढ़ की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

डा0 अजय कुमार, सदस्य, विधान सभा की जनपद बागपत में छपरौली विधान सभा क्षेत्र के ग्राम असारा से ग्राम भनेड़ा तक (जनपद शामली सीमा तक) सड़क मार्ग का नव निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री आसिफ चौधरी व अन्य निवासीगण जनपद बागपत की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री अमरेश कुमार, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद लखनऊ के विधान सभा क्षेत्र मोहनलालगंज के अन्तर्गत ब्लाक गोसाईगंज में लोनी नदी पर पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री चन्दन चौरसिया व अन्य निवासीगण जनपद लखनऊ की याचिका व्यपगत हुई।

डॉ0 एच0 एन0 सिंह पटेल, सदस्य, विधान सभा की जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र सगड़ी के अन्तर्गत लाटघाट-अमिला मुख्य मार्ग से ग्राम सतना बलुआ को जोड़ने वाले मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री उमेश यादव व अन्य निवासीगण जनपद आजमगढ़ की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री धीरेन्द्र सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद गौतमबुद्धनगर के प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम योजना के अन्तर्गत महिला राजकीय डिग्री कालेज, जेवर बांगर आलियाबाद, मेंहदीपुर में शिक्षण कार्य प्रारम्भ कराये जाने के सम्बन्ध में श्री नीरज गोयल व अन्य निवासीगण जनपद गौतमबुद्धनगर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री राम अचल राजभर, सदस्य, विधान सभा की जिला अम्बेडकरनगर के विकास खण्ड अकबरपुर अन्तर्गत ग्राम सभा पीरपुर प्रीतमपाल के घर से विनोद के घर तक सम्पर्क मार्ग का नव निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री प्रीतमपाल व अन्य निवासीगण जनपद अम्बेडकरनगर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री सुरेन्द्र चौरसिया, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद देवरिया में विधान सभा क्षेत्र रामपुर कारखाना क्षेत्र के अन्तर्गत बैकुंठपुर, सिधुआ व गुद्दिजोर में 33/11 के0वी0ए0 विद्युत सब-स्टेशन बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री भरत सिंह व अन्य निवासीगण जनपद देवरिया की याचिका व्यपगत हुई।

श्री गुरु प्रसाद मौर्य, सदस्य, विधान सभा की जनपद प्रयागराज के विधान सभा क्षेत्र फाफामऊ में श्रृंगवेरपुरधाम मेण्डारा चौराहा से वाया मंसूराबाद आनापुर सकरदहा मार्ग का नव निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री शशिकान्त शर्मा व अन्य निवासीगण जनपद प्रयागराज की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री चन्द्रभानु पासवान, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद अयोध्या के विधान सभा क्षेत्र मिल्कीपुर के अन्तर्गत हरखपुर सम्पर्क मार्ग से आमानीगंज-रुदौली मुख्य मार्ग तक तमसा नदी पर सेतु का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रिन्कू पासवान व अन्य निवासीगण जनपद अयोध्या की याचिका व्यपगत हुई।

श्रीमती नीलिमा कटियार, सदस्य, विधान सभा की जनपद कानपुर के विधान सभा क्षेत्र कल्याणपुर के अन्तर्गत गंगा रिवर फ्रन्ट का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री आकाश वर्मा व अन्य निवासीगण जनपद कानपुर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री राम मूर्ति वर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद अम्बेडकरनगर के विधान सभा क्षेत्र टाण्डा के ब्लाक बसखारी के ग्राम फूलपुर बाजार से अवसानपूरा होते हुए अजमेरी बादशाहपुर के पुरवा दर्जीपुर तक के सड़क का नव निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अमित यादव व अन्य निवासीगण जनपद अम्बेडकरनगर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री मनोज कुमार पाण्डेय, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद रायबरेली के मोहल्ला देवानन्दपुर में सड़क के अवैध कब्जे को मुक्त कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रत्नाकर सिंह उर्फ पंकज सिंह व अन्य निवासीगण जनपद रायबरेली की याचिका व्यपगत हुई।

श्री सत्यपाल सिंह राठौर, सदस्य, विधान सभा की जनपद कासगंज की पटियाली तहसील के ग्राम दरियागंज व टहला में बालू के अवैध खनन को रुकवाये जाने के सम्बन्ध में श्री महेश सिंह व अन्य निवासीगण जनपद कासगंज की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

डा0 सुरभी, सदस्य, विधान सभा की जनपद फर्रुखाबाद के विधान सभा क्षेत्र कायमगंज के अन्तर्गत नवीन बस अड्डा का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री जय सिंह व अन्य निवासीगण जनपद फर्रुखाबाद की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री कैलाश नाथ, सदस्य, विधान सभा की जनपद बलरामपुर के विधान सभा क्षेत्र तुलसीपुर के अन्तर्गत विकास खण्ड तुलसीपुर के ग्राम पूरेछीटन-अमरहवा व पूरेछीटन मार्ग पर स्थित खरझार नाले पर पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राजू यादव व अन्य निवासीगण जनपद बलरामपुर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री विनय प्रकाश गोंड, सदस्य, विधान सभा की जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र फाजिलनगर के ग्राम सभा नकटहाँ मिश्र मजरा बाबू टोला में श्री केशव राय के मकान से पौहारी राय मास्टर साहब के घर एवं विद्यालय होते हुए चालील कड़ी सड़क तक 1000 मीटर

पिच तक सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री नीलेश मिश्र व अन्य निवासीगण जनपद कुशीनगर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्रीमती केतकी सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बाँसडीह के सरयू नदी (सुल्तानपुर-नरहर घाट) पर पीपा पुल बनवाने के सम्बन्ध में श्री विवेक सिंह व अन्य निवासीगण जनपद बलिया की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री महबूब अली, सदस्य, विधान सभा की जनपद अमरोहा के विधान सभा क्षेत्र-41, जनपद अमरोहा में मेडिकल कालेज की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मोनू खान व अन्य निवासीगण जनपद अमरोहा की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री प्रदीप शुक्ला, सदस्य, विधान सभा की जनपद गोरखपुर के विधान सभा क्षेत्र सहजनवां के विकास खण्ड सहजनवां के अन्तर्गत भीटी चौराहे से जोनिहीयां मुंडा होते हुए पटखौली चौराहे तक के मार्ग का चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सूर्यनाथ विश्वकर्मा व अन्य निवासीगण जनपद गोरखपुर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री संजीव शर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद गाजियाबाद के विधान सभा क्षेत्र गाजियाबाद के अन्तर्गत कासिंग रिपब्लिक टाउनशिप के निर्माण में लैण्ड एक्सचेन्ज की अनियमितता की जांच के सम्बन्ध में श्री संदीप शर्मा व अन्य निवासीगण जनपद गाजियाबाद की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री समरपाल सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद अमरोहा के विधान सभा क्षेत्र नौगावां सादात के अन्तर्गत ग्राम बिलना (दलित बस्ती) में पक्की सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री कमाल मलिक व अन्य निवासीगण जनपद अमरोहा की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री प्रदीप कुमार यादव, सदस्य, विधान सभा की जनपद औरैया के विधान सभा क्षेत्र दिबियापुर के अन्तर्गत बबीना से भग्गापुरवा सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री बाबूराम पाल व अन्य निवासीगण जनपद औरैया की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्रीमती इन्द्राणी देवी, सदस्य, विधान सभा की जनपद श्रावस्ती के विधान सभा क्षेत्र भिनगा के अन्तर्गत रेहली सड़क रोड का निर्माण/पेंटिंग कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री शिवपूजन यादव व अन्य निवासीगण जनपद श्रावस्ती की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री राम निवास वर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र नानपारा के अन्तर्गत नानपारा नगर में सआदत इण्टर कालेज से बारांबकी-रुपईडीहा राष्ट्रीय राज्य मार्ग तक लगभग 1.5 किमी0 लम्बे मार्ग का चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में

श्री चमन चौरसिया व अन्य निवासीगण जनपद बहराइच की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री संदीप सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद प्रयागराज के विधान सभा क्षेत्र मेजा के अन्तर्गत विकास खण्ड उरुवा में ग्राम सभा निबैया में भागीरथ पटेल के घर से कृष्णानन्द के घर तक मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अजय पटेल, निवासी जनपद प्रयागराज की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री प्रभु नारायण सिंह यादव, सदस्य, विधान सभा की जनपद चन्दौली के विधान सभा क्षेत्र सकलडीहा के पपौरा-अमिलाई-रामगढ़ सम्पर्क मार्ग का चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अरविंद व अन्य निवासीगण जनपद चन्दौली की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

डा0 असीम कुमार, सदस्य, विधान सभा की जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र तमकुहीराज के अन्तर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सेवरही में मूलभूत सुविधाओं को उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में श्री हिमांशु जायसवाल व अन्य निवासीगण जनपद कुशीनगर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री जय प्रकाश अंचल, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बैरिया के अन्तर्गत सोनवानी से समरथपाह होकर दुधौला तक जाने वाली सड़क का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री गोपाल जी यादव व अन्य निवासीगण जनपद बलिया की याचिका व्यपगत हुई।

श्री बेचई सरोज, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद आजमगढ़ की विधान सभा क्षेत्र लालगंज के अन्तर्गत आजमगढ़-जौनपुर सड़क मार्ग से सराय मोहन बर्बसपुर स्व0 बुधिराम सरोज के घर से होते हुए टड़िया अनुसूचित बस्ती तक की सड़क का मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मनोज राय व अन्य निवासीगण जनपद आजमगढ़ की याचिका व्यपगत हुई।

श्री निर्मल वर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद सीतापुर के विधान सभा क्षेत्र बिसवां के विकास खण्ड बिसवां के अन्तर्गत मिर्जापुर सरैया में पूर्व में निर्मित मिनी स्टेडियम का मरम्मत कराकर पुनः संचालित कराये जाने के सम्बन्ध में श्री शिवाशु पाण्डेय व अन्य निवासीगण जनपद सीतापुर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्रीमती मिथलेश पाल, सदस्य, विधान सभा की जनपद मुजफ्फरनगर के विकास खण्ड मोरना के ग्राम बेलड़ा की विद्युत लाइन को किसी अन्य जगह स्थानान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में डा0 ओमपाल व अन्य निवासीगण जनपद मुजफ्फरनगर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

डा0 मुकेश चन्द्र वर्मा, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद फिरोजाबाद के विधान सभा क्षेत्र शिकोहाबाद के रुपसपुर चौराहे से ग्राम पृथ्वीपुर तक के मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अवधेश यादव व अन्य निवासीगण जनपद फिरोजाबाद की याचिका व्यपगत हुई।

श्री रामवीर सिंह, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद मुरादाबाद के विकास खण्ड मुन्डा पाण्डे की ग्राम पंचायत जैतपुर विसाहट में पंचायत घर/कमल दिवाकर के घर से मिलक विसाहट के शिव मन्दिर तक के मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री जोगराज सिंह व अन्य निवासीगण जनपद मुरादाबाद की याचिका व्यपगत हुई।

श्री आनन्द कुमार यादव, सदस्य, विधान सभा की जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र कैसरगंज के अन्तर्गत जरवल रोड से घुरनपुर सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री पुत्तीलाल यादव व अन्य निवासीगण जनपद बहराइच की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

तदुपरान्त श्री अध्यक्ष ने विधान सभा के पटल पर विचार हेतु प्रस्तुत होने वाले विधेयकों को पढ़कर व समझकर ही उन पर पक्ष/विपक्ष में विचार व्यक्त करने हेतु मा0 सदस्यों से अनुरोध किया।

आज दिनांक 23-12-2025 को नियम-56 के अन्तर्गत कुल 15 सूचनाएं प्राप्त हुईं, जो कार्य-स्थगन के रूप में अग्राह्य हुईं।

प्रदेश में हो रहे निर्वाचन सम्बन्धी कार्यों के कारण बी0एल0ओ0 पर असंगत कार्यभार आरोपित किये जाने से उत्पन्न स्थिति विषयक अपनी कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना की ग्राह्यता पर विचार व्यक्त करते हुए श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना' ने कहा कि एस0आई0आर0 की प्रक्रिया पूर्वाग्रह से युक्त लगती है, जिसमें गरीब, दलित और पिछड़े वर्गों के लोग सबसे ज्यादा प्रभावित हुए। पहली बार ऐसा हुआ है कि मतदाता सूची में केवल डिलीशन पर फोकस किया गया, जबकि इन्क्लूजन की जिम्मेदारी मतदाताओं पर छोड़ दी गई, जिससे वे दर-दर भटकते रहे।

इसी मध्य 01 बजकर 49 मिनट पर अधिष्ठाता श्रीमती अनुपमा जायसवाल पीठासीन हुईं।

बी0एल0ओ0 की कोई ट्रेंनिंग नहीं हुई, जिससे वे सभी फॉर्म भरने की जानकारी से अनभिज्ञ थे। 2003 से पहले के मतदाताओं, खासकर नव विवाहित महिलाओं के नाम स्वतः ट्रांसफर न होने से बुरी तरह प्रभावित हुए। प्रशासनिक विफलता और अदूरदर्शिता से 10 से अधिक बी0एल0ओ0 की मौतें हुईं। उन्होंने मृतक बी0एल0ओ0 परिवार को कम से कम 50 लाख का मुआवजा व नौकरी देने की मांग की तथा विषय को अविलम्बनीय, लोक महत्व

का बताते हुए सदन की शेष कार्यवाही रोककर इस पर चर्चा कराने की मांग की। श्री मनोज कुमार पारस, श्री गौरव रावत, श्री धर्मराज सिंह यादव एवं श्री मोहम्मद हसन 'रूमी' ने इस पर बल दिया।

इस पर संसदीय कार्य एवं वित्त मन्त्री ने शासन का पक्ष रखते हुए कहा कि चुनाव से सम्बन्धित कार्य में जो भी अधिकारी लगाये जाते हैं, वह पीपुल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट की धारा-13बी के तहत डेप्यूटेशन पर होते हैं। इनका न तो ट्रांसफर हो सकता है और न ही इनको किसी प्रकार से छुट्टी दी जा सकती है। एस0आई0आर0 जिस दिन से प्रारम्भ हुई है, कार्य समाप्त होने तक सभी बी0एल0ओ0 इलेक्शन कमीशन के अण्डर में ही काम करेंगे तथा डेप्यूटेशन पर माने जायेंगे। हमारी पूरी संवेदना और सहानुभूति उन परिवारों के प्रति है। मानवीय आधार पर जो सरकारी आदमी है, उसे यदि किसी प्रकार से क्षति होती है, तो उत्तर प्रदेश सरकार के स्थायी कर्मचारी के रूप में उसके सारे अधिकार सुरक्षित हैं।

तदुपरान्त सूचना अग्राह्य हुई।

प्रदेश की भर्तियों के लिए जारी किये जा रहे विज्ञापनों में आरक्षण की विसंगति से उत्पन्न स्थिति विषयक अपनी कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना की ग्राह्यता पर विचार व्यक्त करते हुए डॉ0 संग्राम यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश में 2017 के बाद से प्रतियोगी परीक्षाओं में बड़े पैमाने पर आरक्षण घोटाले किए जा रहे हैं। छात्रों के प्रदर्शनों पर पुलिस द्वारा बर्बरतापूर्ण कार्रवाई की जा रही है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में मौखिक रूप से माइग्रेशन व्यवस्था समाप्त कर दी गई है, जबकि संघ लोक सेवा आयोग में यह लागू है। प्रदर्शनकारियों के साथ अमानवीय व्यवहार किया गया। माइग्रेशन न लागू करके आरक्षित वर्ग के विरुद्ध भेद-भाव किया जा रहा है। जिससे प्रतियोगी छात्रों में निराशा फैल रही है। उन्होंने विषय को अविलम्बनीय एवं लोक महत्व का बताते हुए सदन की शेष कार्यवाही रोककर इस पर चर्चा कराने की मांग की। श्री संदीप सिंह एवं श्रीमती पूजा ने इस पर बल दिया।

संसदीय कार्य एवं वित्त मन्त्री ने शासन का पक्ष रखते हुए कहा कि सरकार द्वारा हर स्तर पर आरक्षण की संवैधानिक व्यवस्था का पालन किया जा रहा है, आरक्षण के अक्षरशः पालन में किसी सन्देह की गुंजाइश नहीं रखी जानी चाहिए। माइग्रेशन विषय पर डबल बेंच द्वारा स्टे प्राप्त है, इसलिए इस पर कोई टिप्पणी उचित नहीं। विपक्ष का आरोप मिथ्या, भ्रमपूर्ण एवं गुमराह करने वाला है।

इसी मध्य 03 बजकर 08 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।

तदुपरान्त सूचना अग्राह्य हुई।

प्रदेश के किसानों की बदहाल स्थिति विषयक कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना को सुने जाने की मांग करते हुए समाजवादी पार्टी के सदस्य सदन के वेल में आकर नारे लगाने लगे।

इस पर संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि कृषि मन्त्री जी जवाब देने के लिए तैयार हैं। श्री अध्यक्ष द्वारा किसानों से जुड़ी नोटिस पर कल सुनने का आश्वासन मिलने पर सदन की वेल में आए समाजवादी पार्टी के सदस्य अपने आसन पर वापस चले गये।

तदुपरान्त जनपद चन्दौली के थाना मुगलसराय के अन्तर्गत मुगलसराय बाजार में मेडिकल स्टोर संचालक रोहितास पाल की दिनाँक 18-11-2025 को हुई हत्या की जाँच विषयक श्री प्रभु नारायण सिंह यादव की कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना पर श्री अध्यक्ष ने शासन का ध्यान आकृष्ट किया।

पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री ने प्रस्ताव किया कि-

''उत्तर प्रदेश ग्रामीण आबादी अभिलेख विधेयक, 2025 पर विचार किया जाय।''

नेता विरोधी दल ने निम्नलिखित संशोधन प्रस्तुत किया :-

''उत्तर प्रदेश ग्रामीण आबादी अभिलेख विधेयक, 2025 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे।''

श्री राहुल राजपूत उर्फ राहुल लोधी, श्री संग्राम सिंह, श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना', श्री समरपाल सिंह, समाज कल्याण, अनुसूचित जति एवं जनजाति कल्याण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा श्री जगदीश नारायण ने भी इस पर अपने विचार व्यक्त किये।

इसी मध्य श्री अध्यक्ष ने कार्य-सूची में विचार हेतु सम्मिलित विधेयकों से सम्बन्धित विभागों के अधिकारियों की अनुपस्थिति पर रोष व्यक्त करते हुए मा0 सदस्य के स्तर से प्राप्त सुझाव आदि को नोट करने के लिए विभागीय अधिकारियों की उपस्थिति के निर्देश दिये गये।

मा0 मंत्री के उत्तर भाषण के उपरान्त संशोधन का प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ तथा मा0 मंत्री द्वारा प्रस्तुत विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डशः विचार आरम्भ हुआ।

खण्ड-02 से खण्ड-22 तथा खण्ड-01, प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग बने।

पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री ने प्रस्ताव किया कि-

''उत्तर प्रदेश ग्रामीण आबादी अभिलेख विधेयक, 2025 पारित किया जाय।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उच्च शिक्षा मंत्री ने प्रस्ताव किया कि-

''उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग (संशोधन) विधेयक, 2025 पर विचार किया जाय।''

नेता विरोधी दल ने निम्नलिखित संशोधन प्रस्तुत किया :-

''उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग (संशोधन) विधेयक, 2025 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय, जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे।''

श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना' ने इस पर बल दिया।

मा0 मंत्री के उत्तर भाषण के उपरान्त संशोधन का प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ तथा मा0 मंत्री द्वारा प्रस्तुत विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डशः विचार आरम्भ हुआ।

खण्ड-02 से खण्ड-04 तथा खण्ड-01, प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग बने।

उच्च शिक्षा मंत्री ने प्रस्ताव किया कि-

''उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग (संशोधन) विधेयक, 2025 पारित किया जाय।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उच्च शिक्षा मंत्री ने समान प्रकृति के नाते मद सं0-44, 46 एवं 48 पर प्रस्तावित विधेयकों के विचारण सम्बन्धी मदें एक साथ प्रस्तुत किये जाने की अनुमति मांगी, जो प्रदान की गयी।

उच्च शिक्षा मंत्री ने प्रस्ताव किया कि-

''उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2025 पर विचार किया जाय।''

''उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (चतुर्थ संशोधन) विधेयक, 2025 पर विचार किया जाय ।''

''उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (पंचम संशोधन) विधेयक, 2025 पर विचार किया जाय ।''

श्री कमाल अख्तर ने निम्नलिखित संशोधन प्रस्तुत किया :-

''उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2025 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय, जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे।''

“उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (चतुर्थ संशोधन) विधेयक, 2025 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय, जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे।”

“उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (पंचम संशोधन) विधेयक, 2025 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय, जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे।”

इसी मध्य सायं 04 बजकर 18 मिनट पर अधिष्ठाता डा0 मंजू शिवाच पीठासीन हुईं।

श्री मो0 ताहिर खान, श्री अतुल प्रधान, डा0 वीरेन्द्र यादव एवं श्रीमती पिंकी सिंह ने इस पर बल दिया।

मा0 मंत्री के उत्तर भाषण के उपरान्त संशोधन का प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ तथा मा0 मंत्री द्वारा प्रस्तुत विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

क्रमशः विधेयक पर खण्डशः विचार आरम्भ हुआ।

खण्ड-02 से खण्ड-04 तथा खण्ड-01, प्रस्तावना व शीर्षक उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2025 के अंग बने।

उच्च शिक्षा मंत्री ने प्रस्ताव किया कि-

“उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2025 पारित किया जाय।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डशः विचार आरम्भ हुआ।

खण्ड-02 से खण्ड-04 तथा खण्ड-01, प्रस्तावना व शीर्षक उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (चतुर्थ संशोधन) विधेयक, 2025 के अंग बने।

उच्च शिक्षा मंत्री ने प्रस्ताव किया कि -

“उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (चतुर्थ संशोधन) विधेयक, 2025 पारित किया जाय।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डशः विचार आरम्भ हुआ।

खण्ड-02 से खण्ड-04 तथा खण्ड-01, प्रस्तावना व शीर्षक उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (पंचम संशोधन) विधेयक, 2025 के अंग बने।

उच्च शिक्षा मंत्री ने प्रस्ताव किया कि-

“उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (पंचम संशोधन) विधेयक, 2025 पारित किया जाय।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

वित्त मंत्री ने प्रस्ताव किया कि-

''उत्तर प्रदेश पेंशन की हकदारी तथा विधिमान्यकरण विधेयक, 2025'' पर विचार किया जाय।''

श्री मौहम्मद फहीम इरफान ने निम्नलिखित संशोधन प्रस्तुत किया:-

''उत्तर प्रदेश पेंशन की हकदारी तथा विधिमान्यकरण विधेयक, 2025'' को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय, जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे।

तदुपरान्त संशोधन का प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ तथा मा0 मंत्री द्वारा प्रस्तुत विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डशः विचार आरम्भ हुआ।

खण्ड-02 से खण्ड-06 तथा खण्ड-01, प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग बने।

वित्त मंत्री ने प्रस्ताव किया कि-

''उत्तर प्रदेश पेंशन की हकदारी तथा विधिमान्यकरण विधेयक, 2025'' पारित किया जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नगर विकास मंत्री ने प्रस्ताव किया कि-

''उत्तर प्रदेश नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2025'' पर विचार किया जाय।

श्री अमिताभ बाजपेई ने निम्नलिखित संशोधन प्रस्तुत किया :-

''उत्तर प्रदेश नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2025'' को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय, जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे।

इसी मध्य सायं 05 बजकर 15 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।

श्री आशु मलिक एवं श्री रविदास मेहरोत्रा ने इस पर बल दिया।

मा0 मंत्री के उत्तर भाषण के उपरान्त संशोधन का प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ तथा मा0 मंत्री द्वारा प्रस्तुत विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डशः विचार आरम्भ हुआ।

खण्ड-02 से खण्ड-03 तथा खण्ड-01, प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग बने।

नगर विकास मंत्री ने प्रस्ताव किया कि-

''उत्तर प्रदेश नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2025'' पारित किया जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि-

''उत्तर प्रदेश गन्ना उपकर (निरसन) विधेयक, 2025'' पर विचार किया जाय।

श्री नफीस अहमद ने निम्नलिखित संशोधन प्रस्तुत किया :-

''उत्तर प्रदेश गन्ना उपकर (निरसन) विधेयक, 2025'' को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय, जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे।

श्री मनोज कुमार पारस ने इस पर बल दिया।

मा0 मंत्री के उत्तर भाषण के उपरान्त संशोधन का प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ तथा मा0 मंत्री द्वारा प्रस्तुत विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डशः विचार आरम्भ हुआ।

खण्ड-02 तथा खण्ड-01, प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग बने।

वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि-

''उत्तर प्रदेश गन्ना उपकर (निरसन) विधेयक, 2025'' पारित किया जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

संसदीय कार्य तथा चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि-

''किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2025'' पर विचार किया जाय।

डा0 आर0 के0 वर्मा ने निम्नलिखित संशोधन प्रस्तुत किया :-

''किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2025'' को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय, जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे।

डॉ0 रागिनी ने इस पर बल दिया।

मा0 मंत्री के उत्तर भाषण के उपरान्त संशोधन का प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

मा0 मंत्री के उत्तर भाषण से असन्तुष्ट होकर नेता विरोधी दल ने अपने सदस्यों सहित सदन से बहिर्गमन किया।

तदुपरान्त मा0 मंत्री द्वारा प्रस्तुत विचार का प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डशः विचार आरम्भ हुआ।

खण्ड-02 तथा खण्ड-01, प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग बने।

संसदीय कार्य तथा चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मन्त्री ने प्रस्ताव किया कि-

''किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2025'' पारित किया जाय।

प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।

औद्योगिक विकास मंत्री ने प्रस्ताव किया कि-

''उत्तर प्रदेश सुगम्य व्यापार (प्रावधानों का संशोधन) विधेयक, 2025'' पर विचार किया जाय।

विपक्ष के बहिर्गमन के कारण संशोधन का प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया जा सका।

तदुपरान्त मा0 मंत्री द्वारा प्रस्तुत विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डशः विचार आरम्भ हुआ।

खण्ड-02 से खण्ड-04 तथा खण्ड-01, प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग बने।

औद्योगिक विकास मंत्री ने प्रस्ताव किया कि-

''उत्तर प्रदेश सुगम्य व्यापार (प्रावधानों का संशोधन) विधेयक, 2025'' पारित किया जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्रम मंत्री ने प्रस्ताव किया कि-

''उत्तर प्रदेश दुकान और वाणिज्य अधिष्ठान (संशोधन) विधेयक, 2025'' पर विचार किया जाय।

श्री अनिल प्रधान ने निम्नलिखित संशोधन प्रस्तुत किया :-

''उत्तर प्रदेश दुकान और वाणिज्य अधिष्ठान (संशोधन) विधेयक, 2025'' को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय, जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे।

श्रीमती पिंकी सिंह एवं श्री राम अवतार सिंह ने इस पर बल दिया।

श्री अध्यक्ष ने सभी सदस्यों से अनुरोध किया कि प्रस्तुत किये जाने वाले विधेयकों पर पूरी जानकारी हासिल करें तथा आवश्यक सुझाव एवं संशोधन विचार प्रस्तुत करें। इसके लिए उन्होंने संसदीय कार्य राज्य मंत्री को इंगित करते हुए अपेक्षा की कि आगामी विधेयकों के सम्बन्ध में मा0 सदस्यगण को ब्रीफिंग अवश्य कराएं। यह संसदीय प्रणाली के हित में है। विधेयक के पारण के समय सम्बन्धित विभाग के अधिकारियों की अनुपस्थिति में उनका स्पष्टीकरण प्राप्त कर कार्रवाई की जाए।

मा0 मंत्री के उत्तर भाषण के उपरान्त संशोधन का प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ तथा मा0 मंत्री द्वारा प्रस्तुत विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डशः विचार आरम्भ हुआ।

खण्ड-02 से खण्ड-11 तथा खण्ड-01, प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग बने।

श्रम मंत्री ने प्रस्ताव किया कि-

''उत्तर प्रदेश दुकान और वाणिज्य अधिष्ठान (संशोधन) विधेयक, 2025'' पारित किया जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उच्च शिक्षा मन्त्री ने प्रस्ताव किया कि-

''उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2025'' तथा ''उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2025'' को वापस लिए जाने की अनुमति दी जाए, जो सर्वसम्मति से प्रदान की गयी।

तदुपरान्त वित्तीय वर्ष 2025-2026 के अनुपूरक अनुदानों पर चर्चा श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना' के भाषण से आरम्भ हुई।

सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के श्री बेदी ने भी चर्चा में प्रतिभाग किया।

तदुपरान्त चर्चा आगे के लिए जारी हुई।

आज दिनांक 23 दिसम्बर, 2025 को नियम-51 के अन्तर्गत कुल 133 सूचनाएं प्राप्त हुईं, निम्नलिखित मा0 सदस्यों की सूचनाएं ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकार की गईं :-

क्रम-सं0	मा0 सदस्य का नाम	विषय
1	श्री त्रिभुवन दत्त	विधान सभा क्षेत्र आलापुर जनपद अम्बेडकरनगर के अन्तर्गत नगर पंचायत राजेसुल्तानपुर के ग्राम तिहाईपुर में धारूपुर से गोदलपुर दलित बस्ती तक खड़न्जा निर्माण के सम्बन्ध में।
2	डॉ0 आर0 के0 पटेल	जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र मड़ियाहूँ के अन्तर्गत कतिपय सड़कों का नव निर्माण के सम्बन्ध में।
3	श्री इन्द्रजीत सरोज	ग्राम दहिलामऊ (जनपद-प्रतापगढ़) में भू-माफियाओं द्वारा गरीब/पिछड़े वर्ग के लोगों की भूमि पर अवैध कब्जा, धमकी एवं फर्जी अभिलेख तैयार किए जाने के विरुद्ध कठोर कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में।
4	श्री धर्मराज यादव	मल्हौर पुरवा चिनहट, लखनऊ में स्थित भूमि पर जनहित में पार्क बनाये जाने के सम्बन्ध में।
5	श्रीमती नीलिमा कटियार	जनपद कानपुर के विधान सभा क्षेत्र कल्याणपुर के अन्तर्गत जे0के0 कैंसर संस्थान में लीनियर

क्रम-सं0	मा0 सदस्य का नाम	विषय
		एक्सिलरेटर मशीन क्रय करने तथा सीनियर रेजीडेन्ट के पदों पर तैनाती कराये जाने के सम्बन्ध में।
6	श्री राजीव तरारा	विधान सभा क्षेत्र धनौरा जनपद अमरोहा गंगाधाम तिगरी में घाटों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में।
7	श्री निर्मल वर्मा	विधान सभा क्षेत्र बिसवां के अन्तर्गत विकास खण्ड सकरन में कोन्सर हरैया मार्ग से जिजौली होते हुए दम्मन बेलवा गांव तक सम्पर्क मार्ग बनाये जाने के सम्बन्ध में।
8	श्री अनुराग सिंह	जनपद मिर्जापुर के चुनार नगर में वृहद् सब्जी मण्डी व मछली मण्डी के निर्माण की प्रक्रिया नगर विकास विभाग द्वारा लम्बित किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।
9	श्री प्रभात कुमार वर्मा	जनपद गोण्डा के गौरा विधान सभा क्षेत्र ग्राम पंचायत दौलतपुर ग्रन्ट कुआनो नदी के भालूकोनी घाट की स्वीकृति प्रदान कराये जाने के सम्बन्ध में।
10	श्री छोटे लाल वर्मा	विधान सभा क्षेत्र फतेहाबाद, जनपद आगरा की नगर पंचायत फतेहाबाद में सीवर लाइन डालकर जल निकासी की व्यवस्था कराये जाने के सम्बन्ध में।
11	श्री धीरेन्द्र सिंह	जनपद गौतमबुद्धनगर विशेषकर नोएडा एवं ग्रेटर नोएडा क्षेत्र में संचालित निजी विश्वविद्यालयों की फीस वृद्धि को नियंत्रित किये जाने के सम्बन्ध में।
12	श्री प्रेम नरायन पाण्डेय	जनपद गोण्डा की तहसील तरबगंज में उप जिलाधिकारी के पद पर तैनात रहे श्री विशाल कुमार द्वारा तैनाती के दौरान किये गये भ्रष्टाचार, पद के दुरुपयोग एवं व्यापक स्तर पर अवैध वसूली की जाँच के सम्बन्ध में।
13	श्री चन्द्रभानु पासवान	विधान सभा क्षेत्र मिल्कीपुर के ग्राम देवरिया ग्राम सभा से बारुन नौसड़िया गांव के पीछे तमसा नदी पर निर्माण कराए जाने के सम्बन्ध में।

क्रम-सं0	मा0 सदस्य का नाम	विषय
14	श्री सुभाष त्रिपाठी	विधान सभा क्षेत्र पयागपुर के अन्तर्गत गन्ना किसानों के बकाए मूल्य के भुगतान कराने एवं शिम्भावली चीनी मिल चिलवरिया, बहराइच को संचालित कराये जाने के सम्बन्ध में।
15	प्रो0 श्याम बिहारी लाल	विधान सभा क्षेत्र फरीदपुर, जनपद बरेली अन्तर्गत विकास खण्ड भुता में अहिरौला चौराहा से बीसलपुर फरीदपुर मार्ग पर स्थित कुआडाडा तक सड़क का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में।
16	श्री राम अचल राजभर	विधान सभा क्षेत्र अकबरपुर, जनपद अम्बेडकरनगर के अन्तर्गत ग्राम सभा सीहमई कारीरात (कोटवा) शारदा सहायक नहर से कोटवा गांव तक सड़क का नव निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में।
17	श्री अजय सिंह	प्रदेश में वर्ष 2012-2017 में हुए पशुधन प्रसार भर्ती घोटाले की जाँच के सम्बन्ध में।
18	डॉ0 विमलेश पासवान	विधान सभा क्षेत्र बांसगांव, जनपद गोरखपुर अन्तर्गत लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्मित 5 किमी0 लम्बी जर्जर सड़क का पुनर्निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में।
19	श्रीमती विजमा यादव	जनपद प्रयागराज के विधान सभा क्षेत्र प्रतापपुर के ग्राम करुवाडीह सड़क से तीरथ यादव नेता के घर तक इण्टरलॉकिंग मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में।
20	श्री कमलाकान्त राजभर उर्फ पप्पू	जनपद आजमगढ़ के अन्तर्गत दीदारगंज विधान सभा क्षेत्र के ग्राम छाऊ से परशुरामपुर तक सड़क निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में।
21	श्री अरविन्द कुमार सिंह	शाहजहाँपुर की विधान सभा, ददरौल के विकास खण्ड काँठ की ग्राम सभा हरिउरा (हरिपुर) में सम्पर्क मार्ग बनवाने के सम्बन्ध में।
22	श्री अमिताभ बाजपेई	कानपुर नगर में मेट्रो के निर्माण कार्य के दौरान नौराना चौराहा माल रोड पर स्थित स्व0 गणेश शंकर

क्रम-सं0	मा0 सदस्य का नाम	विषय
		विद्यार्थी जी की प्रतिमा पुनर्स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में।
23	श्री प्रभु नारायण सिंह यादव	उत्तर प्रदेश में गोंड व इसकी पर्याय जाति ओझा, नायक, पठारी, राजगोंड को जनपद चन्दौली, भदोही, कुशीनगर सन्तकबीरनगर में अनुसूचित जनजाति में शामिल किये जाने के सम्बन्ध में।
24	डॉ0 वीरेन्द्र यादव	जनपद गाजीपुर के ग्राम सभा बल्लुर में बिज्जा राजभर के घर के सामने नहर की पुलिया का चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में।
25	श्री जवाहर लाल राजपूत	झांसी में एरच बांध परियोजना का कार्य पुनः प्रारम्भ कराने के सम्बन्ध में।
26	श्री आनन्द कुमार यादव	विधान सभा क्षेत्र कैसरगंज के अन्तर्गत ग्राम मझाला तौकली, नन्दवल, उमरी दहलो में तेंदुए व भेड़िये के हमलों से मृतक के परिवार को अनुग्रह धनराशि/सरकारी सहायता दिलाये जाने के सम्बन्ध में।
27	श्री तेज प्रताप सिंह यादव	गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा भूमि अधिग्रहण में की गयी विसंगतियों के निराकरण के सम्बन्ध में।
28	श्री पल्टूराम	बलरामपुर-बहराइच नेशनल हाई-वे मार्ग पर स्थित झारखण्डी रेलवे क्रासिंग पर उपरिगामी सेतु के निर्माण के सम्बन्ध में।
29	श्री वीर विक्रम सिंह	श्रीराम मूर्ति ऑफ इंस्टीट्यूट बरेली के विरुद्ध जाँच के लिए गठित टीम के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने के विषय में।
30	श्री उमाशंकर सिंह	दैनिक श्रमिक संघ पशुपालन विभाग के श्रमिकों का पारिश्रमिक बढ़ाकर विनियमितीकरण कराने के सम्बन्ध में।
31	श्री रमेश जायसवाल	विधान सभा क्षेत्र मुगलसराय के नगर पालिका परिषद् पं0दी0द0उ0 नगर के वार्ड नं0-7 पथरा भाग-2, विकास नगर में पारस शर्मा के मकान से शैलेन्द्र चतुर्वेदी के घर तक इण्टरलॉकिंग रोड के निर्माण के सम्बन्ध में।

क्रम-सं0	मा0 सदस्य का नाम	विषय
32	श्री अमरेश कुमार	निरीक्षक मोहनलालगंज जनपद लखनऊ द्वारा किये जा रहे भ्रष्टाचार एवं अनियमितताओं की जाँच के सम्बन्ध में।
33	श्री गणेश चन्द्र	विधान सभा क्षेत्र धनघटा के अन्तर्गत ग्राम पंचायत महुली क्षेत्र में साइबर अपराध के माध्यम से करोड़ों के गबन के सम्बन्ध में।
34	श्री राजेन्द्र कुमार	विकास खण्ड मोहम्मदाबाद गोहना के टोन्स नदी के बन्दी घाट पर पुल निर्माण के सम्बन्ध में।
35	डॉ0 मनोज कुमार प्रजापति	जनपद हमीरपुर के ग्राम किसवाही में निर्माणाधीन नहर पर जनहित में पुलिया निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में।
36	श्रीमती सरोज कुरील	जनपद कानपुर नगर के विधान सभा क्षेत्र घाटमपुर में अन्त्येष्टि स्थल के निर्माण कार्य में दबंग व्यक्तियों द्वारा अवरोध उत्पन्न किये जाने के लिए पर्याप्त स्थायी पी0ए0सी0 एवं महिला पुलिस बल उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।
37	डॉ0 रागिनी	जनपद वाराणसी में सनबीम वरुणा स्कूल से सिकरौल तक पाइप लाइन डालने व रास्ते का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में।
38	श्री मोहित सोनकर 'राहुल बच्चा'	कानपुर नगर के कस्बा बिल्हौर में बस अड्डा निर्मित कराये जाने के सम्बन्ध में।
39	श्री स्वामी ओउ्मवेश	विधान सभा क्षेत्र चाँदपुर के महमूदपुर मार्ग से चौधेड़ी तक सड़क का डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में।
40	श्री गौरीशंकर वर्मा	विधान सभा क्षेत्र उरई, जनपद जालौन के अन्तर्गत ऑडिटोरियम बनाये जाने के सम्बन्ध में।
41	श्रीमती पूनम संखवार	विधान सभा क्षेत्र रसूलाबाद के अन्तर्गत कतिपय सड़कों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में।

क्रम-सं0	मा0 सदस्य का नाम	विषय
42	डॉ0 अमित सिंह चौहान	विधान सभा क्षेत्र बीकापुर, जनपद अयोध्या की तहसील सोहावल की विकास खण्ड मसौधा अन्तर्गत सी0सी0 रोड से मेड़ई का पुरवा जिला पंचायत अयोध्या से विशेष मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में।
43	श्री मनीष रावत	उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् की 2003 में अवर अभियन्ताओं की भर्ती के वरिष्ठता सूची की जांच एवं सुधार कराये जाने के सम्बन्ध में।
44	श्री बाबूलाल	जनपद आगरा के ब्लॉक अकोला के ग्राम नहचानी में राजस्व विभाग की सरकारी गूल (नाली) से अवैध कब्जा हटाये जाने के सम्बन्ध में।
45	श्री प्रकाश द्विवेदी	राजस्व विभाग अन्तर्गत तहसीलों में कृषकों की नई खतौनी में अंश निर्धारण की अव्यवस्था को दूर कराये जाने के सम्बन्ध में।
46	श्री अजय	विधान सभा क्षेत्र करनैलगंज, जनपद गोण्डा के परसपुर बाईपास की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में।
47	श्री विनोद चतुर्वेदी	विधान सभा क्षेत्र कालपी (जालौन) सहित जनपद जालौन में पी0एम0 श्री योजनान्तर्गत प्राथमिक एवं जूनियर विद्यालयों में वाई-फाई चालू कराये जाने के सम्बन्ध में।
48	श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना'	जनपद प्रतापगढ़ के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र लालगंज अझारा में निर्मित एन0आर0एच0एम0 के अन्तर्गत एम0सी0एच0 विंग (50 बेड) पर चिकित्सकीय स्टाफ की नियुक्ति कर महिलाओं एवं बच्चों हेतु चिकित्सा सेवाएँ प्रारम्भ कराए जाने के सम्बन्ध में।
49	श्री राजेन्द्र सिंह पटेल	राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालय, चाँदपुर के भवन निर्माण के सम्बन्ध में।

क्रम-सं0	मा0 सदस्य का नाम	विषय
50	श्रीमती रेखा वर्मा	जनपद औरैया के विधान सभा क्षेत्र बिधूना के विकास खण्ड सहार की ग्राम पंचायत जीवा सिरसानी के मजरे मेर से बराउ पुलिया तक सड़क निर्माण के सम्बन्ध में।
51	श्री मनोज कुमार पारस	विधान सभा क्षेत्र नगीना, जनपद बिजनौर, विकास खण्ड किरतपुर के अन्तर्गत किरतपुर-नहटौर मार्ग से शादीपुर नहर तक लम्बाई लगभग 1.500 किमी0 की सड़क मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में।
52	श्री कमाल अख्तर	जनपद मुरादाबाद में राजकीय मेडिकल कॉलेज की स्थापना के सम्बन्ध में।
53	श्री मो0 हसन 'रूमी'	जनपद कानपुर नगर में सी0एम0ग्रिड से बन रही सड़कों के चयन में की समीक्षा के सम्बन्ध में।
54	श्री नफीस अहमद	विधान सभा क्षेत्र गोपालपुर के कन्धरापुर क्षेत्र में नाले का निर्माण के सम्बन्ध में।
55	श्री रविदास मेहरोत्रा	उत्तर प्रदेश सुन्नी सेण्ट्रल वक्फ बोर्ड के मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा पत्रावलियों का निस्तारण न किये जाने की जाँच के सम्बन्ध में।
56	श्री बेदी	लोक निर्माण विभाग प्रान्तीय खण्ड गाजीपुर द्वारा मनिहारी जखनियां चैनेज 0 किमी0 से 14 किमी0 तक मार्ग पर हो रहे निर्माण कार्य में भ्रष्टाचार करने के सम्बन्ध में।
57	श्री मो0 ताहिर खान	ब्लॉक बल्दीराय में सम्पर्क मार्ग निर्माण के सम्बन्ध में।
58	श्री माता प्रसाद पाण्डेय	जनपद सिद्धार्थनगर की तहसील बांसी के मुख्यालय के भवनों को अवैध बताकर तुड़वाने से बेघर हुये निवासियों की समस्याओं के निवारण के सम्बन्ध में।

क्रम-सं0	मा0 सदस्य का नाम	विषय
59	श्री रामचन्द्र यादव	जनपद अयोध्या के विधान सभा क्षेत्र रुदौली अन्तर्गत गोमती नदी के अमौनी घाट पर पुल का निर्माण कराने के सम्बन्ध में।
60	श्री मौहम्मद फहीम इरफान	विधान सभा क्षेत्र बिलारी की नगर पालिका परिषद् में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के पात्र लाभार्थियों को आवास न मिलने तथा सूची में नाम काटे जाने के सम्बन्ध में।
61	श्री पंकज कुमार मलिक	प्रदेश के अन्दर चीनी शुगर मिलों के मजदूरों की वेतन विसंगति के सम्बन्ध में।
62	श्रीमती पूजा	जनपद आजमगढ़ की ग्राम सभा खरिहानी में सरकारी भवन में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को संचालित कराने के सम्बन्ध में।
63	ई0 सचिन यादव उर्फ जखई	जनपद फिरोजाबाद की तहसील जसराना से होकर गुजर रहे एटा-शिकोहाबाद मुख्य मार्ग के मध्य पड़ने वाले कस्बा जसराना बाईपास मार्ग के निर्माण किये जाने की जानकारी प्राप्त करने के सम्बन्ध में।
64	श्री दुर्गा प्रसाद यादव	जनपद उन्नाव के अन्तर्गत ग्राम बजेहरा परगना गोरिन्दा परसन्दन, तहसील हसनगंज में दबंगों द्वारा किये गये फर्जी बैनामे को निरस्त कराने के सम्बन्ध में।
65	श्री जय कुमार सिंह जैकी	विधान सभा क्षेत्र बिन्दकी के चौडगरा से जोनिहा, जोनिहा से बन्दवा, बन्दवा से यमुना नदी पुल तक पूरी सड़क को फोर लेन करने के सम्बन्ध में।
66	डॉ0 आर0 के0 वर्मा	प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा में सेवानिवृत्त एम0बी0बी0एस0/विशेषज्ञ चिकित्साधिकारियों को सेवानिवृत्ति के उपरान्त 70 वर्ष की आयु तक पुनर्नियोजित किये जाने के सम्बन्ध में।
67	श्री अब्बास अंसारी	विधान सभा क्षेत्र-356, मऊ सदर में जिला

क्रम-सं0	मा0 सदस्य का नाम	विषय
		सरकारी हास्पिटल के शैय्या वृद्धि, सी0आर0ए0 मशीन एवं ऑक्सीजन जनरेशन प्लॉण्ट तथा ट्रॉमा सेण्टर स्थापित करने के सम्बन्ध में।
68	डॉ0 राजेश्वर सिंह	विधान सभा क्षेत्र सरोजनीनगर, लखनऊ के अन्तर्गत ग्राम पंचायत पिपरसण्ड स्थित उच्च प्राथमिक विद्यालय को उच्चीकृत कराए जाने के सम्बन्ध में।

शेष सूचनाएं अस्वीकृत हुईं।

तदुपरान्त सदन का उपवेशन सायंकाल 07 बजकर 03 मिनट पर अगले दिन के 11:00 बजे तक के लिए स्थगित हुआ।

प्रदीप कुमार दुबे,
प्रमुख सचिव,
विधान सभा, उत्तर प्रदेश।

————

स्वीकृत,

सतीश महाना,
अध्यक्ष,
विधान सभा, उत्तर प्रदेश।

पी0एस0यू0पी0-एल0 165 विधान सभा (265)-26-12-2025-50 प्रतियां (कम्प्यूटर)।